फैक्स / डाक / आवश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.8(2)(17)निर्वा / 2013 / 3816 जयपुर, दिनांकः 16 अगस्त, 2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः विधानसभा आम चुनाव, 2013 – हेतु सैक्टर ऑफिसरों की नियुक्ति, उनके कर्त्तव्य, दायित्व एवं प्रशिक्षण के विषय में।

प्रंसग : भारत निर्वाचन आयोग के पत्र (i) क्रमांक 464 / INST/2007–PLN-1 दिनांक 12.10.2007, (ii) क्रमांक 464 / INST/2008–EPS दिनांक 24.10.2008, (iii) क्रमांक 464 / INST/2009–EPS दिनांक 22.03.2009, (iv) क्रमांक 464 / INST/2009–EPS दिनांक 31.03.2009, (v) क्रमांक 464 / Instructions/PS/2011 दिनांक 05.03.2011 एवं (vi) क्रमांक 464 / INST/2011/EPS दिनांक 23.03.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पत्रांक एफ 8(2)(10) निर्वा / 2013 / 2012 / 2215 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा आगामी विधानसभा आम चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र दिनांक 24.10.2008 की प्रति संलग्न करते हुए जिले की कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देश दिये गए हैं। उक्त कार्य योजना तैयार करने के साथ–साथ आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की लोकेशन के आधार पर मतदान केन्द्रों के समूह के लिए सैक्टर्स निर्धारित कर तदनुसार इन सैक्टर्स के लिए सैक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जानी है।

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सैक्टर ऑफिसर आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की तिथी के दिन से ही कार्य प्रारम्भ कर देंगे, जो मतदान समाप्ति एवं इसके बाद मतदान सामग्री के संग्रहण हेतु निर्धारित स्थल पर जमा होने तक कार्यरत रहेगें।

3. <u>विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सैक्टर्स का निर्धारण</u> –

(i) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों / लोकेशन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सूचनाओं यथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, एक भवन में स्थापित मतदान केन्द्रों की संख्या, इनकी दूरी, एक लोकेशन पर कितने मतदान केन्द्र स्थापित है, आदि को आधार मानकर सैक्टर्स का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(ii) एक सैक्टर में सामान्य तौर पर 7–8 लोकेशन में सम्मिलित 10–12 मतदान केन्द्र समावेशित हो सकते हैं। सैक्टर्स का निर्धारण करते समय मतदान केन्द्र के अन्तर्गत सम्मलित क्षेत्र की कानून व व्यवस्था की स्थिति एवं मतदान केन्द्र एक ही रूट में आ रहे हैं, का ध्यान रखा जाए। सैक्टर्स का निर्धारिण करते समय यह प्रयास भी किए जाए कि सैक्टर ऑफिसर को इन मतदान केन्द्रों का भ्रमण एक से दो घंटे की अवधि में संभव हो सके।

(iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सैक्टर्स का निर्धारण करते समय यथास्थिति मतदान केन्द्र/लोकेशन की संख्या में कमी/वृद्वि की जा सकती हैं। मतदान तिथि से कुछ समय पूर्व सैक्टर ऑफिसर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करेंगे जिन्हें सैक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी जाना जायेगा। सैक्टर आफिसर एवं पुलिस मोबाईल दलों का क्षेत्र जहां तक संभव हो एक समान हो, ताकि मतदान के दिन एवं मतदान पूर्व के दिवसों में यथासंभव सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाइल पार्टियों के मध्य अच्छा तालमेल बना रहे और जहां तक संभव हो वे भ्रमण भी साथ–साथ ही करें।

(iv) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सैक्टर का निर्धारण करने से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शें पर मतदान केन्द्र मय नम्बर के एवं मतदान केन्द्र जिस ग्राम या लोकेलिटी में स्थापित है, तक पहुँचने वाली सड़क, गली आदि का भी अंकन किया जाए। सैक्टर्स का निर्धारण करने के पश्चात् सैक्टरवार नक्शें सभी सैक्टर ऑफिसरों को उपलब्ध करवाने हेतु तैयार रखे जाने है। सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित किए गए सैक्टर्स की नम्बरिंग भी की जावे।

(v) सैक्टर का नजरी नक्शा तैयार कर इसमें विभिन्न सूचनाओं का संकलन भी किया जावे। इस विषय में सैक्टर प्लान प्रपत्र–4 के अनुसार तैयार किया जाना है। जिसमें सैक्टर अधिकारी को भी पूर्ति करनी है।

(vi) आगामी विधानसभा चुनाव में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट केवल दो ही स्तरों पर होंगे, एक सैक्टर मजिस्ट्रेट जो उपरोक्त वर्णित सैक्टरों पर नियुक्त होंगे तथा दूसरे एरिया मजिस्ट्रेट जो सैक्टरों के समूह पर नियुक्त होंगे। यदि जिले में अधिकारी उपलब्ध है तो एक विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक एरिया मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये जा सकते हैं। पृथक से जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

(vii) सैक्टर निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 31.08.2013 तक सम्पन्न कर ली जावे। उचित रहेगा कि इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से भी विचार–विमर्श कर लिया जावे ताकि बनाये जाने वाले सैक्टर और पुलिस मोबाइल पार्टियों का क्षेत्र यथासंभव समान ही रहे।

(viii) सैक्टर्स का निर्धारण करने के बाद सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बनाये गये सैक्टरों की संख्या व विवरण की सूचना विधानसभावार एवं पुलिसथानावार दिनांक 10.09.2013 तक संलग्न प्रपत्र–5 के कॉलम संख्या 1 से 5 तक की पूर्ति कर इस विभाग को ईमेल से आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

4. <u>सैक्टर अधिकारियों का चिन्हिकरण, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण</u> –

आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान सैक्टर ऑफिसर को जो दायित्व दिये गये है उनके अनुसार इस कार्य के निर्वहन हेतु जिले में उपलब्ध कर्त्तव्यनिष्ठ एवं अच्छे अधिकारियों की

नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। सैक्टर आफिसर की नियुक्ति के विषय में निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखा जावे :–

(i) जहाँ तक संभव हो राजपत्रित अधिकारियो को ही सैक्टर आफिसर नियुक्त किया जाए। इस हेतु कृषि विभाग के सहायक निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, कृषि अधिकारी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, सहकारी सेवा के सहायक रजिस्ट्रार, शिक्षा विभाग के गैर शिक्षण कार्य से जुड़े अधिकारी यथा ब्लॉक लेवल शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक लेवल शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ एवं अन्य अधिकारी जो इनके समकक्ष है को चिन्हित किया जाकर सैक्टर आफिसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(ii) आगामी चुनावों के लिये विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों/संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने के लिये विभाग ने निर्देश जारी कर दिये है, जिसके अनुसार कर्मचारियों का डेटाबेस 31.08.2013 तक पूरा किया जाना है। उक्त डेटाबेस के आधार पर योग्य अधिकारियों को सैक्टर अधिकारी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

(iii) सैक्टर अधिकारियों के रूप में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों का चिन्हिकरण किया जाकर इनकी नियुक्ति दिनांक 15.09.2013 से पूर्व आवश्यक रूप से कर ली जावें। सैक्टर्स का विवरण तथा नियुक्त किये जाने वाले सैक्टर अधिकारियों के नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, उनके मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी. (यदि हो) की पूर्ति संलग्न प्रपत्र–5 में पूर्ण की जाकर उसे विभाग की वेबसाईट "ceorajasthan.nic.in" पर दिनांक 15.09.2013 तक आवश्यक रूप से अपलोड किया जावें, साथ ही प्रपत्र–5 की सूची इस विभाग को ई–मेल भी की जावें। वेबसाईट पर सैक्टर अधिकारियों से संबंधित कोई भी सूचना बाद में यदि परिवर्तित होती है तो उसे तत्काल विभागीय वेबसाईट पर अपडेट किया जावे।

(iv) सभी सैक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग द्वारा निर्धारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार दिनांक 19 या 20 सितम्बर, 2013 को सैक्टर अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला स्तर पर सम्पन्न करवाया जायेगा। इस प्रशिक्षण का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर या जिला निर्वाचन अधिकारी उचित समझें तो उपखण्ड स्तर पर किया जावें। प्रशिक्षणों के लिए समुचित व्यवस्थाऐं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही करवाई जायेगी। प्रशिक्षण के लिये पावर पोईन्ट प्रस्तुतिकरण विभाग द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। (सोफ्ट कॉपी इस पत्र के साथ ईमेल की जा रही है) प्रशिक्षण विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स(ALMT's)के द्वारा दिया जायेगा, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और आवश्यकतानुसार वे भी ब्रीफिंग करेंगे। जहाँ तक संभव हो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी इन प्रशिक्षणों को जाकर देखेंगे और प्रशिक्षणार्थियों को अपना संबोधन भी करेंगे।

(v) प्रशिक्षण के उपरान्त इसकी रिपोर्ट निर्वाचन विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें।

(vi) सैक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण दिनांक 23.09.2013 को आयोजित होने के पश्चात् यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण होता है तो नये अधिकारी को भी तत्काल ही RO/ALMT द्वारा प्रशिक्षित करवा दिया जावें, क्योंकि सैक्टर अधिकारियों को चुनाव–कार्यक्रम की घोषणा होते ही उसी दिन से तत्काल अपना

कार्य क्षेत्र में प्रारम्भ करना है। ऐसी स्थिति के लिए सैक्टर अधिकारियों को तैयार रहना है।

(vii) सैक्टर ऑफिसर की नियुक्ति करते समय कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त अधिकारी किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है तथा किसी पार्टी विशेष से इनका संबंध तो नहीं है।

(viii) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नियुक्त सैक्टर ऑफिसर ही मतदान तिथि से कुछ दिन पूर्व सैक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करेंगे इसलिए इनको विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रत्यायोजित कराने हेतु विधि विभाग को मतदान दिवस से कम से कम 20 दिन पूर्व ही प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जावे ताकि समय पर सैक्टर अधिकारी सैक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य भी कर सके।

(ix) चूंकि सैक्टर अधिकारियों को क्षेत्र का सघन भ्रमण करना होगा इसलिये इन्हें आवश्यकतानुसार वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जावें। आवश्यकतानुसार उन्हें विडियोग्राफर भी उपलब्ध करवाया जाये।

5. <u>सैक्टर ऑफिसर के कर्तव्य एवं दायित्व</u> –

विधानसभा आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सेक्टर में कार्य करेंगे। सैक्टर अधिकारी अपने सैक्टर में Vulnerability Mapping, चुनाव प्रबन्धन, आदर्श आचार संहिता की पालना, सैक्टर मैनेजमेंट प्लान, सम्प्रेषण योजना (Communication Plan) की क्रियान्विति, चुनाव प्रचार में निषिद्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनकी रिपोर्टिंग करने आदि कार्यो के लिये उत्तरदायी रहेगा। सैक्टर अधिकारियों के साथ समय–समय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी तथा पर्यवेक्षक समीक्षात्मक बैठकें भी करेंगे और उनके कार्यो का पर्यवेक्षण भी किया जायेगा। सैक्टर अधिकारियों के कर्त्तव्य–दायित्वों को तीन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है:–

(अ) मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व–
  (i) Vulnerability Mapping संबंधी।
  (ii) मतदान केन्द्रों व मतदान स्थलों व चुनाव प्रबंधन के संबंध में।
  (iii) मतदाताओं में पंजीकरण एवं मतदान हेतु जागरूकता के संबंध में।

(ब) मतदान के पूर्व दिवस संबंधी दायित्व

(स) मतदान दिवस संबंधी दायित्व

6. <u>सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व – भयग्रस्त परिवारों/क्षेत्रों (Vulnerable Families/Areas) की पहचान बाबत</u> –

(i) **स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के लिए उपाय–** भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के उपायों के लिए समय–समय पर निर्देश जारी करता रहा है। स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व यह है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी रूकावट के और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और वह स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान करने के लिए किसी प्रकार अपने आपको असुरक्षित ना समझे। प्रत्येक मतदाता को सुरक्षा का वातावरण महसूस होना चाहिए।

(ii) किसी व्यक्ति के मताधिकार के प्रयोग करने पर किसी अन्य व्यक्ति, अभ्यर्थी या उसके कार्यकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से असम्यक असर डालना

(Undue influence) या इसके लिए प्रयास करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171–ग के अन्तर्गत अपराध है साथ ही लोक प्रतिनिधित्व की धारा 123 (2) के अन्तर्गत इसे भ्रष्ट आचरण भी माना गया है।

(iii) आम चुनावों में धनबल एवं भुजबल की भूमिका तथा अन्य तथ्यों का संज्ञान लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं/मतदाताओं के समूह जो स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान करने में असुरक्षित समझते है अथवा जिन्हें दंबगों के द्वारा डराया/धमकाया जाता है या भय दिखाया जाता है, में विश्वास जागृत करने के लिए और उनके द्वारा निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए वातावरण बनाने हेतु कार्य योजना बाबत Vulnerability Mapping के विस्तृत निर्देश जारी किये है।

(iv) Vulnerability Mapping के संबंध में सैक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।

(v) **चुनाव के संदर्भ में Vulnerability का आशय–**

a) किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह का भयभीत होना, भले ही वह मतदाता ऐसे चिन्हित क्षेत्र में रह रहा हो या नहीं रह रहा हो।

b) मतदाता को स्वतंत्र रहकर और स्वच्छ तरीके से अपने मताधिकार के उपयोग करने में गलत तरीके से रोका जाना या उस पर प्रभाव डालना।

c) मतदाता को प्रताडना या उस पर असम्यक प्रभाव डालना या किसी प्रकार का बल प्रयोग।

(vi) **चुनावों के संदर्भ में भयग्रस्तता–निवारण बाबत् निम्नांकित केन्द्र बिन्दुओं के दृष्टिगत कार्यवाही की जायेगी–**

a) ऐसे भयग्रस्त मतदाता या मतदाताओं के समूह की स्पष्ट रूप से पहचान करना,

b) ऐसे व्यक्तियों अथवा तथ्यों की पहचान करना, जिसके कारण मतदाता/मतदाताओं का वर्ग भयग्रस्त है अथवा असुरक्षित महसूस करता है, तथा

c) अग्रिम तौर पर सुधारात्मक कार्यवाही की योजना बनाना और उस पर कार्यवाही करना।

(vii) भय एवं प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व ही तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए सैक्टर अधिकारियों को उनके सैक्टर से संबंधित समस्त उपलब्ध सूचना, सैक्टर का नक्शा, मतदाता सूची, मतदान केन्द्रों की सूची तथा वाहन भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) भय एवं प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारी को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे, जिसमें निम्नांकित कार्यवाही शामिल है:–

a) सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के समग्र क्षेत्र का गहन भ्रमण करेंगे,

b) क्षेत्र के समुदायों के साथ और स्थानीय सूत्रों के साथ बैठकें करेंगे व सम्पर्क रखेंगे,

c) भय एवं प्रताडना के स्त्रोतों को चिन्हित करेंगे,

d) घटनाओं एवं विद्यमान अन्देशों (current apprehensions) पर गौर करेंगे,

e) थानाधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ परामर्श करेंगे,

f) यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव में खडे होने वाले प्रत्याशी द्वारा भय व प्रताडना से ग्रस्त इलाकों/वर्गो के बारे में कोई सूचना दी जाये तो उस पर भी गौर किया जायेगा और उसके संबंध में तथ्य एकत्र किये जायेंगे,

g) ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं विवरण चिन्हित कर एकत्र किये जायेंगे जो कि भय एवं प्रताडना का कारण बने हुए है अथवा असम्यक असर डालते है।

(ix) उपरोक्त कार्यवाही के बाद सैक्टर अधिकारी निम्नांकित सूचनाऐं भी तैयार करेंगे:–

a) ऐसे परिवारों एवं घरों की सूची जो भय या प्रताडना से ग्रस्त है अथवा असुरक्षित महसूस करते है,

b) ऐसे व्यक्तियों एवं तथ्यों की सूची जो भय व प्रताडना का कारण बने हुये हैं या जिनके कारण मतदाता असुरक्षित महसूस कर रहे है,

c) भय, प्रताडना एवं असुरक्षा का कारण बने हुए व्यक्तियों व तथ्यों के संबंध में की गयी कार्यवाही तथा प्रस्तावित कार्यवाही,

d) भय या प्रताडना, अवैध प्रभाव से ऐसे मतदाताओं को सुरक्षित रखने एवं उनको संरक्षण देने हेतु उनके सम्पर्क के व्यक्तियों के नाम व दूरभाष/मोबाइल नम्बर। इन संपर्क सूत्रों को आपात स्थिति में सहायता हेतु सैक्टर अधिकारी अपना मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध करायेंगे।

(x) सैक्टर अधिकारी क्षेत्र का गहन भ्रमण करने एवं उपरोक्त सूचनायें एकत्र करने के दौरान समय–समय पर रिटर्निंग अधिकारी एवं थानाधिकारी को क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और प्रपत्र–2 में प्रत्येक भ्रमण पर सूचना रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(xi) चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पूर्व अर्थात नामांकनों की प्रकिया प्रारम्भ होने से पूर्व दिवस तक अपने सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पृथक–पृथक Format VM-SO (संलग्न) में पूर्ण सूचना रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(xii) प्रत्येक मतदान केन्द्र के Format VM-SO में उस मतदान केन्द्र के समस्त Vulnerable परिक्षेत्रों/स्थलों/मतदाताओं का विवरण अंकित होना चाहिए।

(xiii) सैक्टर अधिकारी को उक्त Format VM-SO की सूचना प्रस्तुत करते समय यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके सैक्टर के किसी भी मतदान केन्द्र में भय या प्रताडना से ग्रस्त कोई भी मतदाता/परिक्षेत्र/क्षेत्र/परिवार Format VM-SO की सूचना में शामिल होने से शेष नहीं रहा है और ना ही छूटा है।

(xiv) मतदाताओं के उक्त Format VM-SO की एक–एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को देने के साथ–साथ सैक्टर अधिकारी भी एक–एक प्रति अपने पास रखेगा।

(xv) Format VM-SO के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी भी Format VM-SO तैयार करेंगे जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जायेगा।

(xvi) इसी प्रकार इन सूचनाओं के आधार पर जिला निर्वाचक अधिकारी भी Format VM-DEO तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। अन्तिम सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।

(xvii) Format VM-SO की सूचना के उपरान्त भी सैक्टर अधिकारी भय/प्रताडना से ग्रस्त एवं असुरक्षा महसूस करने वाले परिवारों/क्षेत्र में लगातार सम्पर्क रखकर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे निरोधात्मक उपायों व विश्वास बनाने के वातावरण हेतु सहयोग करते हुए कार्य करेंगे।

(xviii) **Vulnerability Mapping Exercise के संबंध में निम्नांकित फॉलो–अप कार्यवाही की जायेगी –**

a) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदाताओं में विश्वास बनाने के उपाय किये जायेंगे तथा उनके द्वारा भी इन क्षेत्रों का भ्रमण कर ऐसे वर्गो से बात की जायेगी।

b) जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव निरोधात्मक उपाय एवं कार्यवाही की जायेगी।

c) राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक चर्चा करेंगे।

d) परेशान करने वाले/भयग्रस्त करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी हेतु थाना स्तर पर विशेष अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

e) चुनाव पर्यवेक्षक को भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दी जायेगी।

f) असामाजिक तत्वों तथा जिनके कारण मतदाता भयग्रस्त है, उनके विरूद्व धारा 107/116/151 द.प्र.सं. के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा आवश्यकता होने पर पुलिस बल की तैनातगी भी की जायेगी।

g) पुलिस गश्ती दलों द्वारा लगातार भ्रमण किया जायेगा ताकि भय मुक्त वातावरण बने।

h) केन्द्रीय पुलिस बल भी ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तथा विशेष ध्यान देंगे।

i) मतदान के पांच दिवस पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report) संयुक्त रूप से आयोग को भेजी जायेगी।

7. **सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व – मतदान स्थल एवं चुनाव प्रबंधन बाबत**

(i) नये मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सैक्टर अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि नक्शे पर दर्शाये गये रूट व्यावहारिक है और वहाँ सुगमता से पहुँचा जा सकता है।

(iii) सैक्टर आफिसर उक्त भ्रमण के समय उनको आंवटित क्षेत्र में मतदान केन्द्र/लोकशन तक पहुचने वाली सडक, गलियों की स्थिति को देखेंगे तथा सैक्टर रूट की व्यवहारिकता/कठिनाईयों बाबत् एक नोट संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

(iv) सैक्टर आफिसर प्रथम भ्रमण के समय उनको आवंटित सैक्टर के मतदान केन्द्रो को भौतिक रूप से सत्यापित करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि आयोग द्वारा अधिसूचित मतदान केन्द्र का भवन जीर्ण–शीर्ण तो नही है, मतदान केन्द्र का भवन प्रथम तल पर स्थापित है, निःशक्तजन हेतु रेम्प्स बने हुए है तथा भवन में सभी आधारभूत सुविधाए यथा जल, छाया, शौचालय आदि उपलब्ध हैं।

(v) सैक्टर ऑफिसर अपने क्षेत्र का भ्रमण प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग आफिसर एवं तहसीलदार से सम्पर्क करलें ताकि उक्त अधिकारीगण सैक्टर आफिसर को उनके क्षेत्र में आनेवाले मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के पटवारी आदि से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करवा सके। सैक्टर आफिसर के प्रारंभिक भ्रमण के समय मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त बूथ लेवल

अधिकारी इनके साथ रहने चाहिए ताकि सैक्टर आफिसर को अपने क्षेत्र के विषय में सम्पूर्ण जानकारी मिल सके।

(vi) सैक्टर आफिसर भ्रमण के समय बूथ लेवल अधिकारियों के पास उपलब्ध मतदाता सूची के विषय में चर्चा कर मतदान केन्द्र में सम्मिलित क्षेत्र/परिक्षेत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। वह अपने पास मतदान केन्द्र सम्मिलित क्षेत्र/परिक्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की सूचना भी संधारित करेंगे।

(vii) सैक्टर ऑफिसर अपने भ्रमण के दौरान यह भी देखेगें कि उनके क्षेत्र में सम्पत्ति का विरूपण तो नहीं किया जा रहा है, नियत समय के पश्चात् प्रचार प्रसार तो नहीं किया जा रहा है, सरकारी भवनों/सरकारी वाहनों का दुरूपयोग तो नहीं हो रहा है तथा सरकारी कर्मचारी प्रचार में शामिल तो नहीं हैं। सैक्टर ऑफिसर इस विषय में केवल अपनी रिर्पार्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

(viii) मतदान केन्द्र पर सम्पर्क हेतु मोबाईल फोन नम्बर/दूरभाष फोन नम्बर की सूचना ली जावें।

(ix) यह देखें कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी दल का कार्यालय तो संचालित नहीं है।

(x) चुनाव प्रचार में अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के संचालन, सम्पत्ति के विरूपण, अवैध चुनाव प्रचार, सरकारी भवनों/सरकारी वाहनों/सरकारी कर्मचारियों के दुरूपयोग तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सभी संभावनाओं पर निगरानी रखेंगे एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। भ्रमण के दौरान सैक्टर अधिकारी के साथ विडियोग्राफर भी है तो वे ऐसी घटनाओं की विडियोग्राफी भी करवायेंगे और उसी दिन RO को इसे अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे।

8. <u>सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व – मतदाताओं बाबत</u>

(i) परिक्षेत्रों में मतदाताओं को वोटिग मशीन का प्रदर्शन करवाना।

(ii) जिन मतदाताओं के फोटो मतदाता पहचान पत्र बनने से शेष रह गये है उनके फोटो पहचान पत्र बनवाने के लिए उपाय करना।

(iii) मतदान केन्द्रों के स्थान तथा हैल्पलाईनों के बाबत मतदाताओं को अवगत कराना।

(iv) मतदाताओं में मतदान करने के लिए जागरूकता लाना– इसके लिए मतदाताओं एवं क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों से निरन्तर सम्पर्क करना।

(v) बी.एल.ओ. के माध्यम से या SMS या निर्वाचन विभाग की वेबसाईट के माध्यम से फोटो मतदाता सूची में अपने नामों को देखने के लिए मतदाताओं को अवगत कराना। तथा यदि उनका नाम नहीं है तो उसका उपाय बताना।

(vi) मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निर्भय होकर बिना किसी लोभ–लालच के मतदान हेतु प्रोत्साहित करना।

(vii) किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या उम्मीदवार या उसके कार्यकता द्वारा अपने पक्ष में या किसी प्रतिद्वंदी के विरूद्व किसी प्रकार के लालच या प्रलोभन में नहीं आने के लिए वातावरण बनाना।

(viii) मतदाताओं में यह प्रचारित करना कि मतदान के लिए रिश्वत लेना या कोई उपहार ग्रहण करना कानून के विरूद्व है और अपराध है। चुनावों में रिश्वत,

प्रलोभन, असम्यक असर डालने आदि बिन्दुओं संबंधी चुनाव अपराधों के प्रावधानों की जानकारी आमजन को देना तथा इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रसारित अपील का प्रचार प्रसार करवाना।

9. **सैक्टर अधिकारी के मतदान के पूर्व दिवस के दायित्व** –

(i) यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा योजना (Security Plan) के अनुरूप मतदान केन्द्रों पर पुलिस बल पहुंच गया है।

(ii) मतदान दल मतदान केन्द्र पर पहुंच गये हैं, यह सुनिश्चित करना।

(iii) क्षेत्र में चुनाव प्रचार–प्रसार तो नहीं हो रहा है, यह देखना।

(iv) मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधी में किसी दल/अभ्यर्थी का कार्यालय तो नहीं है। यदि हो तो तुरन्त RO को अवगत कराकर उपाय करना।

(v) माइक्रो आबजर्वर, विडियोग्राफर जिन मतदान केन्द्रों पर तैनात किये गये है, क्या वे पहुंच गये है, यह देखना।

(vi) नियत्रंण कक्ष को ओ.के. रिपोर्ट भेजना।

10. **सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व :–** मतदान दिवस को सैक्टर आफिसर अपने क्षेत्र में निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करेंगे और विशेषकर निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही करेंगें–

(i) यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्रों पर तैनात किया गया पुलिस बल कार्यशील है।

(ii) मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व दिखावटी मतदान की स्थिति सुनिश्चित करना– यदि कोई कठिनाई है तो उसके समाधान की कार्यवाही करना।

(iii) बनावटी मतदान – मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से 30 मिनट पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जायेगा। यदि केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो या कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो तो 15 मिनट तक मतदान दल द्वारा इन्तज़ार किया जायेगा। यदि फिर भी कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो बनावटी मतदान सम्पन्न कर मशीन की सीलिंग की कार्यवाही कर ली जायेगी तथा नियत समय पर मतदान प्रारम्भ होगा।

(iv) बनावटी मतदान प्रमाणन (Mock Poll Certification) को सुनिश्चित करना– बनावटी मतदान का स्टेट्स 30 मिनट के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना (आयोग का पत्र क्रमांक 51/7/2008–EMS दिनांक 15.7.2008)

(v) मतदान प्रारम्भ होने के समय तक सैक्टर अधिकारी ऐसे समस्त मतदान केन्द्रों की सूचना एकत्र करेंगे जहां बनावटी मतदान या तो एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में हुआ है या बनावटी मतदान के समय कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था। पूरे सैक्टर की यह सूचना RO को मतदान प्रारम्भ होने के 30 मिनट के भीतर दी जायेगी।

(vi) जिन मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में या एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में दिखावटी मतदान किया गया है वहाँ बार–बार भ्रमण करना एवं निगरानी रखना।

(vii) यथा निर्धारित समय पर मतदान प्रतिशत की सूचना कन्ट्रोल रूम के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना।

(viii) मतदान सामग्री संग्रहण स्थल तक मतदान दलों के साथ वोटिंग मशीन एवं निर्वाचन कागजात को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करना।

(ix) मतदान केन्द्र के भ्रमण के समय प्रपत्र–4 पर दिये गये नमूने के अनुरूप रूट–चार्ट में बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए रिपोर्ट लेना।

(x) मतदान केन्द्र के भ्रमण के समय मतदान केन्द्र में रखी गयी 'विजिट शीट' में इन्द्राज कर हस्ताक्षर भी करेंगे।

(xi) मतदान पश्चात् सैक्टर आफिसर को भी एक निर्धारित प्रारूप में रिटर्निंग अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(xii) मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन संचालन या मतदान प्रक्रिया के संबंध में यदि कोई शंका है तो उसका समाधान करना।

(xiii) जहां मतदान केन्द्र में वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जानी है वहां वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर सुपरवाईजर उपस्थित है, यह देखना।

(xiv) जहाँ आवश्यक है वहाँ वोटिंग मशीन को बदलना (सेक्टर ऑफिसर को आरक्षित वोटिंग मशीन भी रखनी है)।

(xv) मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर निगरानी रखते हुए उनकी रिपोर्ट करना।

(xvi) मतदान केन्द्र के भीतर प्रक्रिया के संबंध में मतदान दल को सहयोग करना।

(xvii) मतदान केन्द्रों के भ्रमण के समय यह देखना कि मतदान प्रक्रिया की शुद्धता बनी हुई है तथा मतदान के सभी पहलुओं पर निगरानी रखना।

(xviii) शासकीय मतदाता सूची (Voters' Slip) के लिए प्रशासन द्वारा बनाये गये सरकारी बूथ पर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची वितरण की व्यवस्था सुचारू रहे– यह सुनिश्चित करना।

(xix) राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा बनाये जाने वाले बूथ मतदान केन्द्र की सीमा से 200 मीटर दूर रहे, यह सुनिश्चित करना।

(xx) यदि कोई वाहन अवैध रूप से मतदाताओं को लाने–ले जाने का काम कर रहे है तो तुरन्त पुलिस मोबाइल पार्टी/थाने को कार्यवाही हेतु सूचित करना।

(xxi) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट समय–समय पर मतदान प्रतिशत अवगत कराना।

(xxii) मतदान दिवस को प्राप्त शिकायतों को निपटाना।

(xxiii) मतदान दलों द्वारा वोटिंग मशीन की सीलिंग तथा कागजात की तैयारी पर निगरानी रखना।

(xxiv) मतदान दलों को वोटिंग मशीन के साथ संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचाना।

(xxv) आवश्यकता होने पर आरक्षित दलों में से मतदान कार्मिकों को प्रतिस्थापित करना अथवा सहयोग के लिए लगाना।

(xxvi) मतदान कार्मिकों को मानदेय भुगतान को सुनिश्चित करना।

(xxvii) मतदान समाप्ति के बाद वह यह सुनिश्चित करेंगे कि :–

a) पीठासीन अधिकारी की डायरी समुचित रूप से भरी गई है।

b) वोटिंग मशीने समुचित रूप से मुहरबन्द है।

c) 17ग की प्रतियाँ मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है।

d) 17क का रजिस्टर समुचित रूप से भरा गया है।

e) मतों की संख्या प्ररूप 17–क, 17–ग कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन के आधार पर समान है।

f) पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने हेतु समुचित रूप से भरा गया है।

(xxviii) मतदान पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी को पोलिंग के संबंध में प्रपत्र–3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(xxix) **भय प्रताडना ग्रस्त परिवारों/मतदाताओं के संबंध में मतदान दिवस को विशेष ध्यानः–**

a) पीठासीन अधिकारियों को भी उनके मतदान केन्द्र के ऐसे मतदातओं जो भय व प्रताडना ग्रस्त मतदाताओं के रूप में चिन्हित है, की जानकारी दी जायेगी तथा उन्हें इंगित करने हेतु चिन्हित मतदाता सूची के अनुभाग में साईड–मार्जिन में उन मतदाताओं के नामों के सामने उपर से नीचे लाईन खींच कर दर्शाया जायेगा।

b) सैक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र में अपने प्रत्येक भ्रमण के समय इन मतदाताओं द्वारा वोट देने या वोट देने के लिए नहीं आने की सूचना प्राप्त करेगा।

c) यह सूचना चिन्हित मतदाता सूची में मतदान कर चुके मतदाताओं के नामों को चिन्हित किये जाने हेतु लगाये गये tick (✓) मार्क के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।

d) सेक्टर अधिकारी/मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी भय/प्रताड़नाग्रस्त परिवारों/क्षेत्र में मतदान दिवस को कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे।

e) सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी ऐसे इलाकों का भी कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे जहाँ पर मतदाताओं को धमकाने/भयभीत करना संभावित है।

f) सैक्टर अधिकारी को यदि यह जानकारी मिलती है कि भय/ प्रताडना ग्रस्त परिवार/मतदाता काफी संख्या में वोट देने के लिए अनुपस्थित है तो वह तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा और उन क्षेत्रों में विशेष दल भेजा जाकर पता लगाया जायेगा कि उन मतदाताओं को वोट देने में किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं है और यदि ऐसा है तो उपाय किये जायेंगे।

g) मतदान समाप्ति के पश्चात सैक्टर अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी कि उसके सैक्टर के अमुक–अमुक टनसदमतंइसम च्वबामजे के मतदाताओं ने वोट दिया है अथवा नहीं।

h) मतदान दिवस को पर्यवेक्षक भी भय/प्रताडनाग्रस्त मतदाताओं के संबंध में ध्यान रखेंगे। जिन मतदान केन्द्रों के मतदाताओं के रजिस्टर (17–ए) तथा अन्य रिकार्ड की संवीक्षा मतदान के बाद अगले दिन पर्यवेक्षक व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है तो उनमें भय/प्रताड़नाग्रस्त मतदाताओं के द्वारा मताधिकार के प्रयोग की स्थिति भी देखी जायेगी।

11. <u>सैक्टर अधिकारी के लिए अन्य बिन्दु</u> –

(i) सैक्टर अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह अपने सेक्टर में भ्रमण के दौरान अपने पहचान पत्र को प्रदर्शित रखें।

(ii) पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारियों को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी सैक्टर अधिकारी को भी रहनी चाहिए तथा मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण मतदान दलों के साथ लेना चाहिए।

(iii) उनको सेक्टर का विस्तृत नक्शा एवं प्लान तैयार रखना चाहिए।

(iv) मतदाता हैल्पलाईनों के संबंध में विवरण उपलब्ध होना चाहिए।

(v) आरक्षित वोटिग मशीन का सैट रखना चाहिए। मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन के खराब होने पर मशीन का पूरा सैट ही बदला जायेगा।

(vi) सैक्टर अधिकारी मतदान दलों के अन्तिम प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रह कर यह देखेंगे कि उनके सैक्टर में लगाये गये मतदान कार्मिकों में से कोई कार्मिक डाक मतपत्र से मतदान करने से शेष तो नहीं है और यदि है तो उसके डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर करवायेंगे।

(vii) सैक्टर अधिकारी– सैक्टर मजिस्ट्रेटों एवं एरिया मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण में भी उपस्थित रह कर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(viii) Systematic Voter Education & Electoral Participation (SVEEP) कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने सैक्टर में गतिविधियों को सम्पादित कराना।

12. **सम्प्रेषण योजना** – सैक्टर अधिकारी के द्वारा चुनाव कार्यक्रम के घोषणा के एक सप्ताह के भीतर इसके अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाऐं एकत्रित की जायेगीः–

(i) सैक्टर में सभी मतदान केन्द्रों के भवनों, बूथ लेवल अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियो के नाम एवं सम्पर्क नम्बर।

(ii) पुलिस थाना, पुलिस मोबाइल दलों, केन्द्रीय पुलिस बल के प्रभारियों के नाम व सम्पर्क नम्बर।

(iii) कन्ट्रोल रूम, RO, ARO, DEO, Dy. DEO, एरिया मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक व चुनाव संबंधी अन्य अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर।

(iv) सैक्टर में यदि किसी मतदान केन्द्र ऐसा है जिसमें कोई दूरभाष या मोबाईल की सुविधा नहीं है और Communication की दृष्टि से शेडो एरिया है तो इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल दी जायेगी ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

13. **वोटर हैल्प लाइन** –

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। हैल्प लाइन नंबर डायल करके या एस.एम.एस. कर के मतदाता अपने से संबंधित फोटो मतदाता सूची में नाम व प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

डायल करें – **1950**

एस.एम.एस. करें – **मोबाइल 9251092103 पर**

उदाहरण : VOTERJ <Space> RJ/01/001/123456

(मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या)

वेबसाइट – www.ceorajasthan.nic.in के होम पेज पर "search your name in electoral rolls" पर Click करें

14. सेक्टर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन

(i) सेक्टर अधिकारी अपनी नियुक्ति के पश्चात् क्षेत्र में प्रत्येक भ्रमण के संबंध में संलग्न प्रपत्र–1 तथा प्रपत्र–2 में बताये गये बिन्दुओं के अनुसार भ्रमण प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(ii) सैक्टर अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से नामांकन प्रकिया के प्रारम्भ होने के पूर्व दिवस तक भ्रमण कर Vulnerability Mapping के संबंध में एकत्र सूचना Format VM-SO में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो नामांकन प्रकिया प्रारम्भ होने के पूर्व दिवस को की जायेगी।

(iii) मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान दिवस की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ एक रिपोर्ट सेक्टर अधिकारी निर्धारित प्रपत्र–3 में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(iv) मतदान दिवस को भ्रमण के समय उपयोग हेतु प्रपत्र–4 में चैक लिस्ट।

15. सैक्टर आफिसर को उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री :–

प्रशिक्षण के दौरान सैक्टर आफिसर को पावर पाइन्ट प्रस्तुतिकरण की प्रति, सैक्टर का नक्शा व रूट चार्ट, सैक्टर में सम्मिलित आयोग द्वारा अधिसूचित मतदान केन्द्रों की सूची, सैक्टर आफिसर का पहचान पत्र, मतदान केन्द्रो से संबंधित मतदाताओं के आंकड़ें "विभाग की हैल्प लाईन" से संबंधित पोस्टर/पॅम्पलेट्स एवं संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर/प्रशासनिक अधिकारियों/स्थानीय पुलिस थाना/चौकी एवं बूथ लेवल अधिकारियों के दूरभाष नम्बर एवं नाम भी उपलब्ध करवाऐं जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे। उक्त दिशा–निर्देशों की जानकारी जिले के सभी सहायक रिटर्निंग आफिसर को भी दी जाए।

संलग्नः 1. 6 प्रपत्र
2. आयोग के संदर्भित पत्र
3. पॉवर पाईन्ट प्रेजेन्टेशन

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः प.8(2)(17)निर्वा/2013/3816 जयपुर, दिनांकः 16 अगस्त, 2013

प्रतिलिपिः

1. समस्त संभागीय आयुक्त, (प्रशिक्षण पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (SLMTs)
3. समस्त रिटर्निंग आफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान।

(आर.के.पारीक)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

Format VM-SO

(The Sector Officer/ Sector Magistrate has to fill a different Format VM-SO for each Polling Station in his Sector, and as many Formats VM-SO as is the number of Polling Stations in his Sector.

Each Format VM-SO must contain the details for all Vulnerable Localities/ Pockets/ Voter Segments in one Polling Station area of the Sector.

It must be ensured and certified that no locality/ pocket/ voter segment which is vulnerable has escaped or been missed from inclusion in this format for any polling station area).

Number and Name of the AC –
Number and Name of the Polling Station -
I. **Name of the Locality –**
A. List of Vulnerable Houses/ Families Date of Information-

S.No.	House No./Family Name/ other identifying details of the Household/ Family which has Vulnerable Voters in the Locality	Number of Voters identified as Vulnerable in the house/ family identified in col-2	Contact No. of the Household, if any	Action Taken/ Proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6
Total					

B. List of Persons to be Tracked/ Prevented from Intimidating/ Wrongly Influencing Voters:

S.No.	Name of the Person	Contact No./Address of the person	Action Taken/ Proposed	Remarks
1	2	3	4	5
Total				

II. **Name of the Locality –** ..
A. List of ..
B. List of ..
Date of Information-..

III. **Name of the Locality –** ..
A. List of ..
B. List of ..
Date of Information-..

IV. ...

CERTIFICATION BY THE SECTOR OFFICER/ SECTOR MAGISTRATE

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT NO LOCALITY/ POCKET/ VOTER SEGMENT WHICH IS 'VULNERABLE' FROM THE POINT OF VIEW OF THE ASSEMBLY ELECTIONS, 2011 IN THE AREA OF THE POLLING STATION NO. ------, POLLING STATION NAME ---------- WHICH IS INCLUDED IN MY SECTOR, HAS ESCAPED OR BEEN MISSEDFROM INCLUSION IN THIS FORMAT.

Signatures of Sector Officer/ Sector Magistrate .....

Name and Mobile No. of the Sector Officer/ Sector Magistrate .....

प्रपत्र–1

सेक्टर अधिकारी द्वारा सेक्टर में किये गये विभिन्न भ्रमणों के प्रतिवेदन का प्रपत्र
(विधानसभा क्षेत्र ....)

सेक्टर का नाम अथवा नम्बर :

सेक्टर ऑफिसर का नाम:

क्र.स.	मतदान केन्द्र का नाम जहा भ्रमण किया गया	ढाचागत व्यवस्था (हॉं / नही / रिपोर्ट)					मतदाताओ की सख्या	क्या भ्रमण के दौरान बी.एल.ओ. साथ रहा (हॉं / नही)	अब तक ज्ञात भय ग्रस्त मतदाताओ की सख्या	मतदान केन्द्र, ग्राम तथा मतदान क्षेत्र के संबंध मे कोई विशिष्ट अभ्युक्ति
		रैम्प	सड़क सम्पर्क	पानी	छाया	मतदान केन्द्र क्या भूतल पर है?				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
क्रमश...										

टिप्पणी –

सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर:
भ्रमण का दिनांक:

45

प्रपत्र–2

भयग्रस्त ग्रामों / ढाणियों के संबंध में सूचना के संग्रहण के लिये प्रपत्र

जिले का नाम : ....

विधानसभा क्षेत्र: ....

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	मतदान केन्द्र में सम्मिलित ग्रामों / ढाणियों के नाम	भयग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित ग्रामों / ढाणियों के नाम	गड़बडी के संभावित स्रोत के रूप में चिन्हित व्यक्तियों के नाम	विशेष विवरण (भय का प्रकार, यथा – जातिगत प्रभुत्व, साम्प्रदायिक तनाव, आपराधिक गुट इत्यादि)
1	2	3	4	5

प्रपत्र–3

सेक्टर अधिकारी की रिपोर्ट का प्रपत्र (मतदान दिवस)

सेक्टर अधिकारी का नाम .....

विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम .....

रूट नम्बर .....

अभ्यर्थियों की संख्या .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

प्रपत्र –4

सैक्टर नम्बर 01/85 बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र

अ. नजरी नक्शा

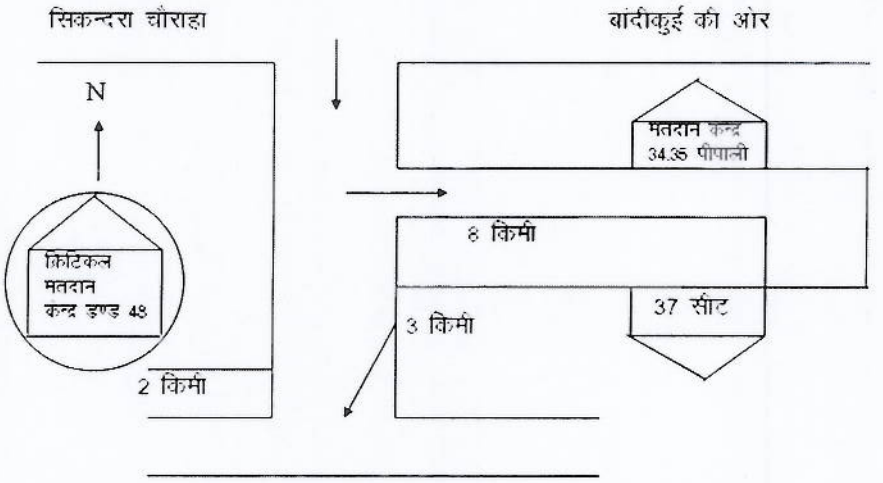

ब. जोन में सम्मिलित निम्न मतदान केन्द्र के क्षेत्र व परिक्षेत्र जिनमें **Vulnerable voters/families** को चिन्हित किया गया है –

1..... 2..... 3..... 4.....

स. सैक्टर में चिन्हित किए गये असामाजिक तत्वों के नाम एवं इलाका –

1. 2. 3.

द. सैक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान केन्द्र पर देखे जाने वाले बिन्दु

	बिन्दु	स्रोत
1.	मतदाता अनुशासित रूप से पंक्तिबद्ध है या नही ?	मतदान अधिकर्ताओं से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2.	मतदान दल द्वारा मतदाता की पहचान हेतु आयोग के अधिकृत वैकल्पिक दस्तावेज देख कर पहचान की जा रही है अथवा नहीं?	
3.	मतदान केन्द्र में अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित तो नही है?	मतदान अधिकर्ता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4.	मतदान दल के सदस्य बार–बार वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में तो नहीं जा रहे हैं?	
5.	मतदान दल द्वारा प्रारूप 17क का इन्द्राज किया जा रहा है या नहीं?	मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रजिस्टर देखकर
6.	मतदाता मतदान करने के बाद अमिट स्याही को मिटा तो नहीं रहे हैं?	मतदान के पश्चात् मतदाता की अंगुली पर निशान देखकर
7.	भय प्रताड़ना से ग्रस्त मतदाताओं में से मतदाता वोट देने के लिये आ रहे है अथवा नहीं ?	चिन्हित मतदाता सूची में भय–प्रताड़ना से ग्रस्त मतदाताओं को इंगित करने हेतु साईड मार्जिन में लाईन एवं मतदान दिवस को क्षेत्रों का भ्रमण

य. सम्पर्क टेलिफोन नम्बर

1. जिला कन्ट्रोल रूम ..... 2. पर्यवेक्षक ..... 3. रिटर्निंग ऑफिसर .....

4. सैक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व मोबाईल नम्बर .....

प्रपत्र –5

सैक्टर अधिकारियों की सूचना

जिले का नाम

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र का कमांक एवं नाम	संबंधित पुलिस थाने का नाम	सैक्टर कमांक	सैक्टर में शामिल मतदान केन्द्रों का कमांक एवं कुल संख्या	सैक्टर अधिकारी का नाम	सैक्टर अधिकारी का पदनाम एवं विभाग का नाम	सैक्टर अधिकारी का मोबाइल नम्बर	सैक्टर अधिकारी का ईमेल (यदि हो तो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MOST URGENT
BY FAX/CAMP BAG

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.464/INST/2007-PLN-I Dated: 12th October, 2007

To

1. The Chief Secretaries of
   All States/UTs.

2. The Chief Electoral Officers of
   All States/UTs.

Sub: Measures to ensure free and fair elections- Prevention of intimidation to the voters of vulnerable sections of electorate- Mapping of Vulnerability- regarding.

Sir,

I am directed to state that the Commission has been issuing instructions regarding various measures to be taken to ensure free and fair elections. An atmosphere in which each and every elector is able to access the polling station without being obstructed or being unduly influenced by anybody is an important prerequisite to a free and fair election.

Undue influence at elections is an electoral offence under section 171C of the IPC. Any voluntary interference or attempt at interfering with the free exercise of any electoral right constitutes the crime of undue influence at an election. Section 123 (2) of the R.P Act 1951 defines, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of the candidate or his agent, or of any other person with the consent of the candidate or his election agent with the free exercise of any electoral right, as a corrupt practice.

Taking due cognizance of the role being played by the muscle power in the elections and taking into account of certain prevailing socio economic realities of the electoral politics, the Commission has decided to issue the following instructions to curb the menace of threat and intimidation at elections by identifying the locations within a polling station area vulnerable for such threat and intimidation.

1. An exercise to identify the villages/ hamlets/habitats and segments of electorate vulnerable to any threat, intimidation or interference with the free exercise of electoral right shall be taken up polling station wise. The sector officers for their respective polling stations shall do this exercise by visiting the catchment area of the polling stations. The local *Thana* officer (SHO) and

local civil authorities such as BDO / Tehsildar shall also be consulted and their inputs taken into account before finalizing the list. They should identify the source of such threat/ intimidation and identify the names of persons who are likely to spearhead such offence of undue influence. While doing this exercise they shall take into account the past incidents, and current apprehensions.

2. They shall identify some point of contact within the habitat/ community vulnerable for such undue influence so that information related to such developments can be tracked constantly.

3. The Returning Officer of the Assembly Constituency should compile all such information and finalize the vulnerability mapping for the entire constituency, polling station wise in a format (enclosed).

4. The DEO and SP shall initiate all preventive measures to ensure that such intimidation/ obstruction do not really happen on the poll day. They shall initiate confidence-building measures to bolster the voters' confidence about the arrangements for free and fair poll. They shall undertake tours to such locations and meet the communities and explain the arrangements made for the free and fair poll.

5. The DEO/ RO shall interact with the candidates and representatives of political parties to gather regular feedback. The District Intelligence shall give regular feedback on the subject to the DEO through SP.

6. Upon the arrival of the Observers the DEO/ RO shall hand over the details of the polling station wise vulnerability mapping for the relevant Assembly Constituency. The Observer will also visit such locations and interact with the voters and constantly monitor the developments.

7. The DEO and Superintendent of Police of the District should hold a joint review on the subject and finalize a focused action plan to deal with the potential threats and intimidation points identified. The action plan may include, inter-alia, binding the identified trouble mongers under appropriate sections of the law, preventive detention if required, forcing their appearance in local police stations at reasonable intervals to ensure their good behavior, placement of police pickets, regular confidence building visits etc. It has to be ensured that all such measures are undertaken in absolutely non-partisan manner without fear or favour towards any particular party.

8. The Zonal/ and sector arrangements to monitor the events on the poll day shall take such pre-identified vulnerable locations into account for effective

tracking. If the normal sector route map does not cover the vulnerable locations special arrangements shall be made for this purpose. The Sector officers shall make regular visits to those villages and hamlets in advance and collect information and keep the senior officers informed.

9. Where there is a cluster of such vulnerable pockets, the DEO shall arrange for dedicated police teams/squads and locate them at convenient locations in the vicinity, to be pressed into service for action on the day of poll without any loss of time. It should invariably form part of the district security plan.

10. On the day of poll, the sector officers shall give special attention to verify whether voters from the vulnerable habitats/ communities are turning up for voting or not. In case, they find (it can be gauged from the marked copy of the electoral roll where voters who have voted are ticked) that some section of voters is conspicuously absent, then they should inform the Returning Officer about this immediately. The Returning Officer and DEO shall dispatch the dedicated squad specifically meant for this purpose, to ascertain, by a visit to the area/hamlet, that there is no hindrance – overt or covert – in movement of that section of voters. They should closely monitor the developments and initiate effective interventions. After the closing hours on the poll day, the sector officers shall submit a special report, polling station wise, in writing to the Returning Officers indicating as to whether voters from the vulnerable habitats were able to vote or not.

11. At the time of Dispatch of the polling parties at the Dispatch Centers the RO should brief the Presiding Officer concerned about the vulnerable locations within the Polling Station area. In the electoral roll the Section within the Part should also be marked for proper monitoring. The Presiding officers shall submit a report indicating abnormally low percentage of voter turnout if any within any section/sections, particularly, with reference to the vulnerable locations.

12. During the poll the Observers and other senior officers while visiting the polling station shall pay a special attention to this problem and find out whether any undue influence, intimidation/ obstruction is being caused.

13. The police patrolling parties should keep track of the vulnerable locations and keep the control room informed. Wherever necessary police pickets shall be established to ensure free access to all voters to cast their votes without fear.

14. The Commanders/Assistant Commanders of the CPMF shall be given a list of such vulnerable locations. Wherever CPMF arrives in advance for area domination, special attention shall be given for such locations. On the day of

poll the Commanders/Assistant Commanders shall make it a point to visit such vulnerable pockets as a confidence building measure. In case they come across any obstruction they shall take note of that and immediately inform any of the electoral officials such as RO/DEO/SP/Observer/Sector Officer and keep a note of the time of their intimation.

15. If any complaint is received or information gathered from any sources about obstruction/threat to any voter/voters the same shall be enquired into by the local administration without any delay.

16. The Returning Officer shall take the inputs on mass scale intimidation/threat/obstruction if any into consideration while submitting their report after the poll.

17. The Observers shall give their full attention to this issue and verify at every stage (before poll/on poll day) and submit reports to the Commission from time to time. A special mention shall be made about this in their final report. Apart from this they should make an intelligent reading of the Form 17A and the marked copy of the electoral roll used in the polling stations at the time of Form 17A scrutiny, ordered if any, by the Commission after the poll.

18. The Commission directs that accountability of various police and civil officials for vulnerability mapping and follow up at every stage shall be clearly defined with reference to each polling station/constituency. Severe disciplinary action will be initiated in case of dereliction of duty on the part of any police/civil officials in this matter.

This shall be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(K.N. BHAR)
UNDER SECRETARY

Format for Collection of Information on Vulnerable Hamlets

District: _____ Constituency: _____

Polling Station no. and Name	Names of hamlets covered by the P.S.	Name of Hamlets identified as vulnerable	Name of persons identified as probable source of trouble	Remarks (Type of Threat, e.g. caste domination, communal tension, criminal gangs etc)
1	2	3	4	5

BY FAX/SPEED POST

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No. 464/INST/2008-EPS

Dated: 24th October, 2008

To

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

Subject:- Preparation of District Election Plan - Regarding

Sir,

I am directed to state that the Commission has been issuing instructions regarding poll management from time to time. The past experience shows that having a proper and timely district election plan helps the administration in many ways to manage the elections effectively in free, fair and peaceful manner. Therefore, all officers connected with elections should familiarize/acquaint themselves with each measure to be taken at various stages of election process with reference to the Commission's existing instructions/directions and also updated provisions of the R.P.Act, 1951 & Rules made thereunder. More specifically, the District Election Officers should prepare a District Election Plan listing out detailed arrangements for the poll well in advance, particularly on the following items: -

1. **District Profile:**

Prepare a district profile giving the following -

1.1 Important Officials and their contact numbers.

1.2 Geography.

1.3 Demography.

1.4 Administrative Units (including constituencies).

1.5 General Law & Order, History of District -Constituency specific - to the extent possible.

1.6 Past Electoral offences - action taken against each of them and list of pending cases.

2. **Elector Details** :

2.1 Sex ratio :
Provide information in Format 1B & 1C and provide explanation as in footnote to the format 1B & 1C.

5.2 **Requirements of vehicles etc.**
Assess the requirement of vehicles (buses, LMVs and heavy vehicles) for movement of polling parties and security forces deployed on poll and counting duties.

6. **Police Deployment Plan:**

Assess the requirement of police personnel (in various ranks) for Sectoral movement in the district and to man polling booths/polling centres. Prepare the return journey plan for polled EVMs/polling material, their storage and Security plan till counting.

7. **Communication Plan:**

Prepare list of landline telephones/cellular connections available in/nearby each of the polling station alongwith particulars of persons to be contacted. Also prepare list of polling personnel/sector/zonal magistrates with their cellular numbers. Plan mode of communication such as VHF/HF linkage to ensure connectivity with each polling booth on the day of poll where no landline/mobile telephone connection is available. Provide details thereof.

8. **Counting Plan:**

Identify the place(s) for storage of EVMs and polling material and also for counting of votes with reference to standing guidelines prescribed by the Commission. Furnish the proposal through Chief Electoral Officer for the counting centres so identified for the Commission's approval well in advance. Assess counting staff availability, detail other logistics arrangements for counting, media arrangements and security arrangements for counting centre.

9. **Provision for Polling Staff Welfare**

There shall be a separate chapter in the election arrangement booklet prepared by DEO/RO dedicated to the polling staff welfare. In this connection, attention is invited to the detailed guidelines contained in Commission's letter of even no. dated 12th September 2008.

The receipt of this letter may please be acknowledged with the confirmation that the relevant instructions have been issued to all the concerned officers. It should be clarified that the above are only indicative topics/items for the detailed district election plan. A copy of instructions/directions so issued in this behalf may also be endorsed to the Commission for its information and record.

Yours faithfully,

(SHANGARA RAM)
PRINCIPAL SECRETARY

Election Plan For a Constituency

Step 1
Collect information on total number of polling stations (parts) in a constituency.

Step 2
Organize and classify them as 'rural area polling stations' and 'urban area polling stations'. For classifying 'urban area polling stations' take the 7 corporation area, all the district head quarters and established city like towns for example Morvi, etc. Very small towns with semi-rural characteristics should not be taken as urban area polling stations.

Step 3
For **urban area polling stations**, collect the information on number of buildings (locations) in which these polling stations are located. Organize the information under following columns:

number of locations (buildings) with 1 to 3 polling station;
number of locations (buildings) with 4 to 6 polling station;
number of locations (buildings) with 7 to 8 polling station;
number of locations (buildings) with 9 to 12 polling station; and
number of locations (buildings) with 13 to 16 polling station;

Step 4
Plot these locations on a map showing the approach road and route to these locations.

Step 5
Organize these locations into clusters (Sectors). One cluster ideally should not have more than 8 locations. The minimum can even be one location if that location has too many polling stations and has other sensitivities like not easily accessible or law and order problem prone area etc.
The cluster (Sector) formation is an important task and needs care. Most important care to be taken is that all the polling station locations of one cluster should fall on one common road route. Economy of time and ease of access is prime criteria. A circular route is ideal; however it may not always be possible.
Another care required is that polling station locations within a cluster should not be at a greater distance than an hour. In other words, all polling stations of a cluster can be visited within one hour at the most. The lesser the time taken, the better it would be.

Step 6
Repeat step 3 & 4 & 5 for **rural area polling stations**. For rural area however the number of locations covered in one sector can be more. The time distance for coverage can be upto 2 hours.

Step 7

Compile and put the information in the following format for each constituency of your district.

Data for constituency level election planning

No of AC Name of AC	Total Polling Stations (PSs)		Total Polling Station Locations (PSLs)		Break up of Urban PSLs					Break up of Rural PSLs					No of Sectors	
	Urban	Rural	Urban	Rural	1-3 PS	4-6 PS	7-8 PS	9-12 PS	13-16 PS	1-3 PS	4-6 PS	7-8 PS	9-12 PS	13-16 PS	Urban	Rural

Sector Management

Each Sector (cluster) shall be put under a responsible sector officer. For the purpose, the best of the officers should be identified and database created. They may be drawn from all permissible departments of preferably the state, and where possible, central governments. They should be provided with a vehicle and fuel and should extensively familiarize themselves with every nook and corner of their jurisdiction i.e. the polling locations as well as the catchment area of the polling stations.

The Sector Officers will be specifically responsible for the following:

About Polling Location under him/her:

- Ascertaining the approach and accessibility (road, bridges, culverts) to polling locations
- Ascertaining the infrastructure at the polling locations viz. ramp, water, toilet, telephone number if any etc
- Ascertaining Physical condition of the structure where polling is supposed to take place like, the roof, the walls, electricity etc of the polling booth/room
- Since this will mean extensive touring of his area, the Sector Officer should also report on observance of the Model Code of Conduct in his jurisdiction. He should especially keep an eye and report on movement of unauthorized campaign vehicles, defacement of properties, campaigning beyond permitted hours, misuse of public building for campaign purposes, misuse of government vehicles.

About the voters served by the polling locations under him/her:

- The catchment area (wards/locality or villages/hamlets) covered by each polling station
- Generate awareness about the functionality of EVMs amongst voters of each polling station (demonstrate how it works)
- Give specific Information to voters under his jurisdiction about their EPIC coverage programme
- Inform voters about the helpline numbers and location of their polling stations where they have to vote

About vulnerability mapping:

- During their 'voter contact programme' the sector officers shall also ascertain apprehensions if any of the voters, especially the minority community voters, dalits, tribals and backwards
- The Sector Officer shall also attempt to collect the names of trouble mongers as perceived by the vulnerable inhabitants in confidence and give the information in Format 8 to the RO/DEO without having to disclose the source.
- In every vulnerable population or settlement (hamlet/pocket etc) of the voters in his/her jurisdiction, the sector officer shall identify a nodal contact person/family of that community, obtain the contact number (if he/she has) and leave his own mobile number for contact by them in any emergency. The sector officer will make frequent visit to such identified pockets and hold meetings with vulnerable population in their hamlets as confidence building measure.

On the poll eve:

- The sector officer shall be responsible for ensuring that the Polling team and all the materials/equipment has reached the polling stations. He will report any missing team/member of a team to the RO immediately

The sector officer shall also be responsible for reporting that the Force Deployed according to the plan has reached the polling stations

On Poll Day:

Sector Officer will visit all the polling stations during the first two hours of poll and give the poll commencement report to the RO for polling stations under his jurisdiction

Sector Officer will ensure replacement of any EVM that would not operate for whatsoever reason at the start and during the poll hours

Thereafter the Sector Officer will oscillate between his polling stations and make himself available/contactable to every Presiding Officer under his jurisdiction and ensure that the poll is conducted in a free and fair manner and without interruptions

Sector officer will ensure that there is no obstruction to any of the vulnerable pockets/population identified earlier in approaching the polling station and casting of votes. Any such thing shall be reported to the RO immediately

Sector Officer will give an OK report on conduct of poll in polling stations under his jurisdiction

Sector Officer will safely escort and get deposited the polled EVMs at designated counters.

In order that the Sector Officers are able to carry out their duties smoothly, the following arrangements should be made for them:

Best officers available within the district will have to be hand picked

Elaborate training of sector officers

Wherever possible, they should be declared magistrates on duty

They should be provided with a vehicle and sufficient fuel. This should be provided well in advance, as soon as possible but not later than one week before the gazette notification

A videographer with him to monitor any breach of the Model Code of Conduct

A route map of his sector, giving the broad layout and location of polling stations falling in his sector (It could be a sketch map, need not be a scale map)

Polling part's detail viz the voter roll with hamlets name etc for him to be able to contact some voters of every section in the part;

An EVM for awareness of and demonstration before the voters (This can be given by rotation and a programme for each sector officer should be drawn up so that each sector officer gets it for 2-3 days)

On poll day, the urban sector officers will move with ½ section of CPMF in same vehicle

The RO/DEO should take weekly review with all Sector Officers to monitor the works done by them as well as to review the action taken by officers/departments concerned on the reports (shortcomings) pointed in Sector Officer's reports.

464/INST/2009-EPS Dated: 22.03.09

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories.

1541
22/3

Sub.-Follow up action on the Vulnerability Mapping(VM) exercise and identification of critical polling stations and critical clusters.

Sir,

This is with reference to the Election Commission of India's instructions conveyed vide letter no. 464/INST/2008-EPS dated 24.10.08. regarding vulnerability mapping as well as identification of critical polling stations and critical clusters. As a follow up measure on the above issue, the Commission has issued the following additional instructions:-

1. In all the constituencies in the country, the vulnerability mapping(VM) exercise shall be done without exception. The VM exercise will take place in three stages i.e. (i) Identification of the villages, hamlets, voter segments vulnerable for threat and intimidation (ii) Identification of the persons causing the vulnerability i.e the troublemakers who are likely to pose threat to voters by intimidating them (iii) Initiating preventive measures against such persons and submission of Action Taken Report (ATR).
2. The first stage of exercise shall be completed with respect to each Parliamentary constituency before the issue of the gazette notification for the election in the respective constituency. In case no such vulnerable hamlet or village is identified in a district or in a Parliamentary Constituency, the DEO concerned should obtain a certificate from the field functionaries from the

Thana/block level and sub division level and finally submit a certificate to the CEO that no such vulnerable village or hamlet or voter segment is available/identified within his district. Such certificate should be sent **within 3 days of issue of the gazette notification.** In case of such vulnerable villages/hamlets/voter segments being identified by the grass root level officers as per the above instructions of the Election Commission, the second stage exercise of identifying the persons responsible for making the villages vulnerable shall be done polling station-wise indicating the name of village, hamlet names of the such persons including their address and so on. This exercise of identifying the troublemakers shall be completed **within 5 days of issue of gazette notification.** After that the SP and DM shall initiate all possible preventive measures which may include the use of preventive Sections of Cr. P.C and other relevant Acts. Confidence building visits should be made by the senior officers to the vulnerable villages. They should hold meetings with the vulnerable communities and issue warning to the troublemakers that they will be tracked individually. These actions shall be taken in a focused manner.

3. For tracking the individual trouble mongers and for ensuring that the troublemakers are kept under watch, a specific officer should be designated at *Thana* (Police Station) level for ensuring the proper law and order, and peaceful poll. The name of the police officer responsible for each vulnerable location should also be mentioned along with his designation and contact number in the vulnerability mapping document. Names of contact persons from within the communities, shall also be identified and their contact numbers, mobile numbers, if any, should be noted down. After this exercise is over, the ATR will

be submitted by the D .O and SP ointly a . the ATR s all be submitted **at least 5 d. 's before t e poll d** i.e if the p ll day is 16.04.09 the ATR s ould be s bmitted the CEO befo e 11.04.09. The Commi ion has m le it ver clear that i case of the ATR not bein submitted by an DEO with the stipulated time, it may e brought o the n ce of the D puty Election Commissioner oncerned y the (O for imm diate follow up action.

4. It is further directed th on arrival of the o erver, the tatus report on the vulnerabil mapping xercise all be sub itted to them by the DEO. Th y should appra d of the nu nber of hamlets/villages ide ified as lnerabl no. of pe sons identified as vulnerable ouble mak rs and e preventiv and confidence building mea ures taken r propo d to be tak n at that point of time. A c y of the R shou also be sl ared with the Observers. Th Zonal Sect ns of t ECI will t e a specific and focused rep from eac observe bout the s tus of the vulnerability map g at least hree d before th poll day.

This may be brought to he notice of all ncerned. The Commission will take a serious vie in case of y devia on.

ours faithf lly,

(R. B LAKRISHN N)
Deputy Electio Commissic ier

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली – 1 1 0 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 0

No. 464/INST/2009-EPS

Dated: 31st March, 2009.

To,

(1) The Chief Secretaries of
All States and Union Territories.

(2) The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories.

Sub: - Follow up action on the Vulnerability Mapping (VM) exercise and identification of critic polling stations and critical clusters.

Ref: **(1) Commission's letter No. 464/NST/ 2007-PLN-1dated 12th October 2007 (cop enclosed).(2) Commission letter No. No. 464/INST/ EPS dated 24th October 2008(cop enclosed).**

Sir,

I am directed to refer to the Commission's letter of even number dated 22.03.2009 in the above cited matter and to say that the Commission vide this letter had advised the CEOs to undertake following exercise for proper implementation of Vulnerability Mapping (VM) during general election to Lok Sabha 2009 to curb the menace of threat and intimidation at election:

1. Identification of villages, hamlets, voter segments vulnerable for threat and intimidation.
2. Identification of the persons causing the vulnerability i.e. the troublemakers who are likely to pose threat to voters by intimidating them.
3. Initiating preventive measures against such person and submission of Action Taken Report (ATR).

For this purpose the CEOs were advised to submit three-stage report to the Commission.

In the first stage the exercise were required to be completed with respect to each Parliamentary constituency before the issue of the gazette notification for the election in the respective constituency. The information be sent to the Commission in Proforma- I (copy enclosed) . In case no such vulnerable hamlet or village has been identified in a district or in a Parliamentary Constituency, the DEO should submit a report to the CEO on the basis of inputs from the field functionaries that no such vulnerable village or hamlet or voter segment is available / identified within his district. <u>Such report should be sent within 3 days of issue of the gazette notification.</u>

In the second stage if such vulnerable village/ hamlets have been identified the names of such persons responsible for making the villages vulnerable was required to be identified polling stations wise indicating the names and address of such persons. The information be sent to the Commission in Proforma- II A and to the Observers in Proforma II B (copies enclosed). This exercise should have been/shall be completed within 5 days of issue of gazette notification.

The Commission directed to appoint a specific officer designated at Thana level for tracking the individual trouble mongers. The name of the police officer responsible for each vulnerable location was required to be mentioned along with his designation and contact number. The DEOs are advised to submit the information to the Observers in Proforma- III (copy enclosed). Thereafter an ATR is required to be submitted by the DEO and SP jointly to the CEO of concerned state and the ATR shall be submitted at least 5 days before the poll day. The Commission has desired that the DEO should submit a copy of the ATR to Observers also.

The Chief Electoral Officers shall forward all the reports relating to the vulnerable mapping for the first, second and third stage to the Secretaries in charge of Zonal Divisions, who will in turn consolidate the report for follow up action of the Commission.

The Commission will review the overall situation on 11th April,2009 for the first phase of Election.

Yours faithfully

(R. BALAKRISHNAN)
Deputy Election Commissioner

Copy to all the Secretaries/under Secretaries of Zonal Division Concerned with the request to obtain 1st, 2nd & 3rd stage ATR report from the CEOs concerned and consolidate all the report for follow up action .

To be submitted by the CEO to ECI

Proforma

First Stage Report on Vulnerability Mapping

Format for Collection of Information on Areas with Vulnerable Hamlets

District: ... Assembly Constituency: No_____falling in -__Parliamentary Constituency_

Polling Station no. and Name	Names of Police Station	No. of Villages/Hamlets/Voters segments identified as vulnerable	Remarks (Type of Threat, e.g. caste domination, communal tension, criminal gangs etc)
1	2	3	4

To be submitted by the CEO to ECI

Proforma –II A

Second Stage Report on Vulnerability Mapping
Format for Collection of Information on Areas with Vulnerable Hamlets

District: ... Assembly Segment / Assembly Constituency: _____falling in -_____Parliamentary Constituency_

Polling Station no. and Name	Names of Police Station	No. of Villages/Hamlets/Voters segments identified as vulnerable	No. of persons identified as probable source of trouble polling stations wise
1	2	3	4

To be submitted by the DEO to the Observers

Proforma –

Second Stage Report on Vulnerability Mapping

Format for Collection of Information on Areas with Vulnerable Hamlets

District: ... Assembly Segment / Assembly Constituency: _____falling in -_____Parliamentary Constituency_

Polling Station no. and Name	Names of Police Station	Name of Hamlets identified as vulnerable	Name & address of persons identified as probable source of trouble polling stations wise	Remarks (Type of Threat, e.g. caste domination, communal tension, criminal gangs etc)
1	2	3	4	5

To be submitted by the DEO to the Observers

Proforma -II

Third Stage Report on Vulnerability Mapping
Format for Collection of Information on Areas with Vulnerable Hamlets

District: _____ Constituency: _____

Polling Station no. and Name	Names of Police Station	Name of Hamlets identified as vulnerable	Name & address of persons identified as probable source of trouble polling stations wise	Name, address & mobile/ telephone No. of the Police Officer responsible for each vulnerable location	Name, address & mobile/ telephone No. of the contact person within the vulnerable communities	Remarks (Type of Threat, e.g. caste domination, communal tension, criminal gangs etc)
1	2	3	4	5	6	7

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI – 110 001.

No. 464/Instructions/ EPS/ 2011

Date 5th March, 2011.

To,

The Chief Electoral Officers,

West Bengal, Assam, Kerala.

Sub :- Vulnerability Mapping

Ref :- Letters nos. 464/INST/2008-EPS dated 24-10-2008 and 22-03-2009 of ECI.

In continuation of the instructions of the Commission conveyed vide letters nos. 464/INST/2008-EPS dated 24-10-2008 and 22-03-2009, as well as other instructions on the above mentioned and related subjects conveyed from time to time from ECI, the following instructions relating to Vulnerability Mapping are being issued for timely compliance in the context of the ongoing Assembly Elections, 2011.

'Vulnerability' – in the context of elections - may be defined as the susceptibility of any voter or section of voters, whether or not living in a geographically identifiable area, to being wrongfully prevented from or influenced upon in relation to the exercise of his right to vote in a free and fair manner, through intimidation or use of undue influence or force of any kind on him.

The exercise of **Vulnerability Mapping (VM)** in the context of the Assembly Elections is to be undertaken with the point of view of clearly identifying in advance, such voters or sections of voters who are likely to be 'vulnerable', the persons or other factors causing such vulnerability, and taking adequate corrective action well in advance on the basis of such identification.

The first step in the exercise of Vulnerability Mapping has to be undertaken with immediate effect by the Sector Officer or the Sector Magistrate (who have to be appointed as per ECI instructions and posted to commence their assigned task). The Sector Officer must

necessarily visit every Locality/ Pocket in the area of every Polling Station in his Sector, hold widespread discussions with people there, collect intelligence, and list the vulnerable households and families, as well as the persons and factors causing such vulnerability there. He should, further carefully fill the **Format 'VM-SO'[Annexure I]** for each such Locality/ Pocket, preferably while he is touring the locality itself. All help, including vehicular support if needed, should be extended to the Sector Officer for this purpose. The Sector Officer must retain a copy of the filled Formats VM-SO with himself and submit all filled in Formats VM-SO to the Retuning Officer within **14th March, 2011**.

Each Returning Officer must collect all Formats VM-SO for his AC by 14th March, 2011, and prepare and make available to DEO, the **Format 'VM-RO' [Annexure II]** by **16th March, 2011** after retaining a copy of the same.

The DEO, on the same lines must collect the Formats VM-RO by 16th March, 2011, and prepare and make available to the CEO, the **Format 'VM-DEO' [Annexure III]**latest by **18th March, 2011**.

The CEO must compile all the district formats VM-DEO of the state into a book and make this compilation available to the Commission latest by**20th March, 2011.**

Sufficient copies of these instructions and formats must be made available immediately to all concerned officials for timely compliance and completion of the assigned tasks.

Yours sincerely,

Ashish Srivastava,

Director

Annexure I

Format VM-SO

(The Sector Officer/ Sector Magistrate has to fill a different Format VM-SO for each Polling Station in his Sector, and as many Formats VM-SO as is the number of Polling Stations in his Sector.

Each Format VM-SO must contain the details for all Vulnerable Localities/ Pockets/ Voter Segments in one Polling Station area of the Sector.

It must be ensured and certified that no locality/ pocket/ voter segment which is vulnerable has escaped or been missed from inclusion in this format for any polling station area).

Number and Name of the AC –

Number and Name of the Polling Station -

I. **Name of the Locality –** Date of Information-

A. List of Vulnerable Houses/ Families

S.No.	House No./ Family Name/ other identifying details of the Household/ Family which has Vulnerable Voters in the Locality	Number of Voters identified as Vulnerable in the house/ family identified in col-2	Contact No. of the Household, if any	Action Taken/ Proposed	Remarks
1	2	3	4	5	6
Total					

B. List of Persons to be Tracked/ Prevented from Intimidating/ Wrongly Influencing Voters

S.No.	Name of the Person	Contact No./ Address of the person	Action Taken/ Proposed	Remarks
1	2	3	4	5
Total				

[CONTINUED]

II. **Name of the Locality –** .. Date of Information-..

A. List of ..

B. List of ..

III. **Name of the Locality –** .. Date of Information-..

A. List of ..

B. List of ..

IV. ...

CERTIFICATION BY THE SECTOR OFFICER/ SECTOR MAGISTRATE

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT NO LOCALITY/ POCKET/ VOTER SEGMENT WHICH IS 'VULNERABLE' FROM THE POINT OF VIEW OF THE ASSEMBLY ELECTIONS, 2011 IN THE AREA OF THE POLLING STATION NO. ------, POLLING STATION NAME ---------- ---------- WHICH IS INCLUDED IN MY SECTOR, HAS ESCAPED OR BEEN MISSED FROM INCLUSION IN THIS FORMAT.

Signatures of Sector Officer/ Sector Magistrate .....

Name and Mobile No. of the Sector Officer/ Sector Magistrate .....

Annexure II

Format VM-RO

Name of the District –

Number and Name of the AC - Date -

A. AC Summary on Vulnerability

S.No.	No. & Name of Polling Station	No. of Families/ Households identified as Vulnerable in the PS area by the SO	Total number of Voters identified as Vulnerable (in the families/ households identified as vulnerable) in the PS area in col 3	No. of Persons Causing Vulnerability in the PS area	Action Taken
1	2	3	4	5	6
Total					

B. List of Persons causing Vulnerability in the AC

S.No.	Name of the Person Causing Vulnerability	PS nos. in which he is causing vulnerability	Action Taken	Remarks, if any
1	2	3	4	5
Total				

Signatures of the Returning Officer

Name of the Returning Officer

Annexure III

Format VM-DEO

Name of the District –

Date –

Table A

Identification of Vulnerability and Action thereon -

S.No.	AC No. & Name	Total number of Polling Stations	Number of Polling Stations in whose area Vulnerable Persons/ Families/ Households have been identified	Number of Vulnerable Voters identified in these Polling Station areas	Action being taken to prevent these Vulnerable Voters from being intimidated or wrongfully influenced before and during the poll
1	2	3	4	5	6
Total					

Table B

Report on Persons causing Vulnerability -

S.No.	AC No. and Name	Number of Identified Persons	Details of Action Taken against persons mentioned in col.3 [Numbers]				No. of Persons out of those mentioned in col.3 against whom no action has been taken	Reasons for no action as mentioned in col.8
			Bound over	Externment	In custody	Any other action (with description)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total								

Signatures of the DEO - ...

Name of the DEO - ...

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 464/INST /2011/EPS

Dated: 23rd March, 2011

To

The Chief Electoral Officers of
1. Assam, Dispur
2. West Bengal, Kolkata
3. Kerala, Thiruvananthapuram
4. Tamil Nadu, Chennai
5. Puducherry, Puducherry

Subject:- General elections to the Legislative Assembly to Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry - security cover for vulnerable areas - regarding.

Sir,

I am directed to state that the Commission has considered the issue of providing full protection and opportunity to electors of vulnerable areas and locations. The Commission has directed that on the day(s) of poll, the Sector Magistrates and the mobile state forces should visit at least twice such villages/hamlets/dwelling areas which are identified as vulnerable areas and where there are reports of possible intimidation of the voters. The Sector Magistrates and mobile state forces during their visit to these areas will ensure that wherever required, adequate security cover is provided to such vulnerable voters.

This should be brought to the notice of all District Election Officers, Returning Officers, Sector Magistrates and Police Mobile team for compliance.

Yours faithfully,

(SUMIT MUKHERJEE)
UNDER SECRETARY

निर्वाचन विभाग

राजस्थान

विधानसभा आम चुनाव

2013

सैक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण पर प्रस्तुतिकरण

सैक्टर ऑफिसर की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम चुनाव हेतु कार्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सैक्टर ऑफिसर नियुक्त किये जायेंगे।
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से पूर्व ही जिला निर्वाचन अधिकारी 10 से 12 मतदान स्थलों को कवर करते हुए एक सैक्टर का निर्धारण करेंगे। यह सैक्टर इस प्रकार हो कि जिसे 1 से 2 घन्टे की अवधि में पूरा कवर किया जा सके।
- सैक्टर अधिकारियों को अपने सैक्टर में वलनरेबिलिटी मैपिंग (Vulnerability Mapping), आम मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। इनके अलावा वोटिंग मशीन, चुनाव प्रबन्धन, मतदान प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व ही सैक्टर अधिकारी की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कर दी जायेगी। राज्य सरकार के किसी विभाग या राजकीय उपक्रम के राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों में से सैक्टर अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। यदि केन्द्र सरकार या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में राजपत्रित/उनके समकक्ष अधिकारी उपलब्ध है तो उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है।
- इन सैक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर अथवा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आयोजित कराये जायेंगे।

- सैक्टर अधिकारियों को विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (ALMTs) एवं संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व दिया जायेगा ताकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही सैक्टर अधिकारी अपना कार्य प्रारम्भ कर सके।
- ये सैक्टर अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरन्त बाद मतदान प्रक्रिया समाप्ति तक अपने सैक्टर में कार्य करेंगे।

सैक्टर अधिकारियों को दी जाने वाली सामग्री

प्रशिक्षण के दौरान सैक्टर अधिकारी को पॉवर पाईन्ट प्रस्तुतीकरण की प्रति, सैक्टर का नक्शा, रूट चार्ट, सैक्टर में शामिल अधिसूचित मतदान केन्द्रों की सूची, सैक्टर अधिकारी का पहचान पत्र, मतदान केन्द्रों से संबंधित मतदाता के आंकडें, विभाग की हैल्पलाईन से संबंधित जानकारी, मतदाताओं में जागरूकता हेतु पोस्टल पम्पलेट्स आदि सामग्री, सैक्टर में भयग्रस्त/असुरक्षित महसूस करने वाले मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता सूची, RO/ARO/SHO/BLOs व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सूची दूरभाष नम्बर आदि।

सैक्टर अधिकारियों को दिये जाने वाले परिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग के निम्नांकित परिपत्रों का सेट दिया जायेगाः–

1. परिपत्र दिनांक 12.10.2007 –Vulnerability Mapping बाबत।
2. परिपत्र दिनांक 24.10.2008 – District Election Plan & Sector Management Plan बाबत।
3. परिपत्र दिनांक 22.03.2009 – कानून व्यवस्था एवं Vulnerability Mapping से संबंधित सूचनाओं के बाबत
4. परिपत्र दिनांक 31.03.2009 – कानून व्यवस्था एवं Vulnerability Mapping से संबंधित सूचनाओं के बाबत
5. परिपत्र दिनांक 05.03.2011 – Vulnerability Mapping से संबंधित सूचनाओं बाबत
6. परिपत्र दिनांक 23.03.2011 – Vulnerable Families/Voters के क्षेत्र में सैक्टर अधिकारी द्वारा मतदान दिवस को भ्रमण बाबत
7. निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किये गये सभी संबंधित निर्देश एवं परिपत्र।

कर्तव्य एवं दायित्व

- सैक्टर अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिन से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सैक्टर में स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान हेतु Vulnerability Mapping एवं चुनाव प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी रहेगा।
- सैक्टर आफिसर को मतदान दिवस के कम से कम 7 दिन पूर्व उसी क्षेत्र के लिए सैक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी नामित किया जायेगा। इन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी दी जायेगी।

- सैक्टर अधिकारी सैक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य भी करेंगे इसलिए वे पुलिस अधिकारी के साथ भी भ्रमण करेंगे।
- सैक्टर अधिकारी को मतदान केन्द्रों को प्रदर्शित करते हुए नजरी नक्शे के साथ, मतदान केन्द्रों के दूरभाष नम्बरों की सूची तथा निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों, पुलिस थानों, जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची, असामाजिक तत्वों की सूची इत्यादि की सूचना के साथ प्रपत्र–4 में दिये गये नमूने के प्लॉन के अनुसार सैक्टर प्लान तैयार करना होगा।

- सेक्टर अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी तथा पर्यवेक्षक द्वारा बार–बार (साप्ताहिक) रिव्यू बैठकें आयोजित की जाएगी तथा उन्हें आवंटित तथा उनके द्वारा किये गये कार्यो का पर्यवेक्षण किया जाएगा।
- सैक्टर आफिसरों के द्वारा सम्प्रेषण योजना (Communication Plan) की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी।
- चुनाव प्रचार में निषिद्ध गतिविधियों पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग

स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के लिए उपाय–

- भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के उपायों के लिए समय–समय पर निर्देश जारी करता रहा है। स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनावों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व यह है कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी रूकावट के और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और इस प्रकार का वातावरण भी बने।
- किसी व्यक्ति के मताधिकार के प्रयोग करने पर किसी अन्य व्यक्ति, अभ्यर्थी या उसके कार्यकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से असम्यक असर डालना (Undue influence) या इसके लिए प्रयास करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171–ग के अन्तर्गत अपराध है साथ ही लोक प्रतिनिधित्व की धारा 123 (2) के अन्तर्गत इसे भ्रष्ट आचरण भी माना गया है।

- आम चुनावों में धनबल एवं भुजबल की भूमिका तथा अन्य तथ्यों का संज्ञान लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं/मतदाताओं के समूह जो स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान करने में असुरक्षित समझते है अथवा जिन्हें दंबगों के डराया/धमकाया जाता है या भय दिखाया जाता है, में विश्वास जागृत करने के लिए और उनके द्वारा निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए वातावरण बनाने हेतु कार्य योजना बाबत Vulnerability Mapping के विस्तृत निर्देश जारी किये है।
- Vulnerability Mapping के संबंध में सैक्टर अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है।

- सैक्टर अधिकारियों के कर्त्तव्य–दायित्वों को तीन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता हैः–

  (अ) मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व–

  (i) Vulnerability Mapping संबंधी।

  (ii) मतदान केन्द्रों व मतदान स्थलों व चुनाव प्रबंधन के संबंध में।

  (iii) मतदाताओं में पंजीकरण एवं मतदान हेतु जागरूकता के संबंध में।

  (ब) मतदान के पूर्व दिवस संबंधी दायित्व

  (स) मतदान दिवस संबंधी दायित्व

(अ) सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व –

(1) भयग्रस्त परिवारों/क्षेत्रों (Vulnerable Families/Areas) की **पहचान बाबत** – (भारत निर्वाचन आयोग का परिपत्र क्रमांक 464/INST/2007/PLN-I दिनांक 12.10.07 एवं पत्र क्रमांक 464/Instructions/EPS/2011 दिनांक 05.03.2011)

- चुनाव के संदर्भ में Vulnerability का आशय–

(i) किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह का भयभीत होना, भले ही वह मतदाता ऐसे चिन्हित क्षेत्र में रह रहा हो या नहीं रह रहा हो।

(ii) मतदाता को स्वतंत्र रहकर और स्वच्छ तरीके से अपने मताधिकार के उपयोग करने में गलत तरीके से रोका जाना या उस पर प्रभाव डालना।

(iii) मतदाता को प्रताडना या उस पर असम्यक प्रभाव डालना या किसी प्रकार का बल प्रयोग।

- चुनावों के संदर्भ में भयग्रस्तता–निवारण बाबत् निम्नांकित केन्द्र बिन्दुओं के दृष्टिगत कार्यवाही की जायेगी–

  (i) ऐसे भयग्रस्त मतदाता या मतदाताओं के समूह की स्पष्ट रूप से पहचान करना,

  (ii) ऐसे व्यक्तियों अथवा तथ्यों की पहचान करना, जिसके कारण मतदाता/मतदाताओं का वर्ग भयग्रस्त है अथवा असुरक्षित महसूस करता है, तथा

  (iii) अग्रिम तौर पर सुधारात्मक कार्यवाही की योजना बनाना और उस पर कार्यवाही करना।

- भय एवं प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व ही तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए सैक्टर अधिकारियों को उनके सैक्टर से संबंधित समस्त उपलब्ध सूचना, सैक्टर का नक्शा तथा वाहन भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- भय एवं प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों/परिवारों/मतदाताओं की पहचान हेतु सैक्टर अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे, जिसमें निम्नांकित कार्यवाही शामिल है:—

  (i) सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के समग्र क्षेत्र का गहन भ्रमण करेंगे,

(ii) क्षेत्र के समुदायों के साथ और स्थानीय सूत्रों के साथ बैठकें करेंगे व सम्पर्क रखेंगे,

(iii) भय एवं प्रताडना के स्त्रोतों को चिन्हित करेंगे,

(iv) घटनाओं एवं विद्यमान अन्देशों (current apprehensions) पर गौर करेंगे,

(v) थानाधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार तथा क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ परामर्श करेंगे,

(vi) यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव में खडे होने वाले प्रत्याशी द्वारा भय व प्रताडना से ग्रस्त इलाकों/वर्गो के बारे में कोई सूचना दी जाये तो उस पर भी गौर किया जायेगा और उसके संबंध में तथ्य एकत्र किये जायेंगे,

(vii) ऐसे व्यक्तियों के नाम एवं विवरण चिन्हित कर एकत्र किये जायेंगे जो कि भय एवं प्रताडना का कारण बने हुए है अथवा असम्यक असर डालते है।

- उपरोक्त कार्यवाही के बाद सैक्टर अधिकारी निम्नांकित सूचनाऐं भी तैयार करेंगेः–

  (i) ऐसे परिवारों एवं घरों की सूची जो भय या प्रताडना से ग्रस्त है अथवा असुरक्षित महसूस करते है,

  (ii) ऐसे व्यक्तियों एवं तथ्यों की सूची जो भय व प्रताडना का कारण बने हुये हैं या जिनके कारण मतदाता असुरक्षित महसूस कर रहे है,

  (iii) भय, प्रताडना एवं असुरक्षा का कारण बने हुए व्यक्तियों व तथ्यों के संबंध में की गयी कार्यवाही तथा प्रस्तावित कार्यवाही,

  (iv) भय या प्रताडना, अवैध प्रभाव से ऐसे मतदाताओं को सुरक्षित रखने एवं उनको संरक्षण देने हेतु उनके सम्पर्क के व्यक्तियों के नाम व दूरभाष/मोबाइल नम्बर। इन संपर्क सूत्रों को आपात स्थिति में सहायता हेतु अपना मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध कराना।

- सैक्टर अधिकारी क्षेत्र का गहन भ्रमण करने एवं उपरोक्त सूचनायें एकत्र करने के दौरान समय–समय पर रिटर्निंग अधिकारी एवं थानाधिकारी को क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और प्रपत्र–2 में प्रत्येक भ्रमण पर सूचना रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पूर्व अर्थात नामांकनों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दिवस तक अपने सैक्टर के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पृथक–पृथक Format VM-SO में पूर्ण सूचना रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- प्रत्येक मतदान केन्द्र के Format VM-SO में उस मतदान केन्द्र के समस्त Vulnerable परिक्षेत्रों/स्थलों/मतदाताओं का विवरण अंकित होना चाहिए।

- सैक्टर अधिकारी को उक्त Format VM-SO की सूचना प्रस्तुत करते समय यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके सैक्टर के किसी भी मतदान केन्द्र में भय या प्रताडना से ग्रस्त कोई भी मतदाता/परिक्षेत्र/क्षेत्र/परिवार Format VM-SO की सूचना में शामिल होने से शेष नहीं रहा है और ना ही छूटा है।
- मतदाताओं के उक्त Format VM-SO की एक–एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को देने के साथ–साथ सैक्टर अधिकारी भी एक–एक प्रति अपने पास रखेगा।
- Format VM-SO के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी भी Format VM-SO तैयार करेंगे जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जायेगा।
- इसी प्रकार इन सूचनाओं के आधार पर जिला निर्वाचक अधिकारी भी Format VM-DEO तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। अन्तिम सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी।
- Format VM-SO की सूचना के उपरान्त भी सैक्टर अधिकारी भय/प्रताडना से ग्रस्त एवं असुरक्षा महसूस करने वाले परिवारों/क्षेत्र में लगातार सम्पर्क रखकर जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे निरोधात्मक उपायों व विश्वास बनाने के वातावरण हेतु सहयोग करते हुए कार्य करेंगे।

Vulnerability Mapping Exercise के संबंध में फॉलो–अप कार्यवाही–

- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मतदाताओं में विश्वास बनाने के उपाय किये जायेंगे तथा उनके द्वारा भी इन क्षेत्रों का भ्रमण कर ऐसे वर्गो से बात की जायेगी।
- जिला प्रशासन द्वारा सभी संभव निरोधात्मक उपाय एवं कार्यवाही की जायेगी।
- राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों से भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक चर्चा करेंगे।
- परेशान करने वाले/भयग्रस्त करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी हेतु थाना स्तर पर विशेष अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।
- चुनाव पर्यवेक्षक को भी ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दी जायेगी।

- असामाजिक तत्वों तथा जिनके कारण मतदाता भयग्रस्त है, उनके विरूद्व धारा 107/116/151 द.प्र.सं. के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा आवश्यकता होने पर पुलिस बल की तैनातगी भी की जायेगी।
- पुलिस गश्ती दलों द्वारा लगातार भ्रमण किया जायेगा ताकि भय मुक्त वातावरण बने।
- केन्द्रीय पुलिस बल भी ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे तथा विशेष ध्यान देंगे।
- मतदान के पांच दिवस पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report) संयुक्त रूप से आयोग को भेजी जायेगी।

सैक्टर अधिकारी के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व –

(2) मतदान स्थल एवं चुनाव प्रबंधन बाबत

- यह सत्यापन करना कि नक्शे पर दर्शाये गये रूट व्यावहारिक है– उनकी पहुँच और सुगमता सुनिश्चित की जावें।
- मतदान केन्द्र पर ढांचागत व्यवस्थाऐं – पानी, छाया, रैम्प, टॉयलेट, दूरभाष इत्यादि, तथा भवन की भौतिक स्थिति के बारे में व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जावें।
- नये मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावें।
- मतदान केन्द्र पर सम्पर्क हेतु मोबाईल फोन नम्बर/दूरभाष फोन नम्बर की सूचना ली जावें।

- यह देखें कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी दल का कार्यालय तो संचालित नहीं है।
- चुनाव प्रचार में अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे वाहनों के संचालन, सम्पत्ति के विरूपण, अवैध चुनाव प्रचार, सरकारी भवनों/सरकारी वाहनों/सरकारी कर्मचारियों के दुरूपयोग तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सभी संभावनाओं पर निगरानी रखेंगे एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सैक्टर अधिकारी मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व –

(3) मतदाताओं बाबत

- परिक्षेत्रों में मतदाताओं को वोटिग मशीन का प्रदर्शन।
- जिन मतदाताओं के फोटो मतदाता पहचान पत्र बनने से शेष रह गये है उनके फोटो पहचान पत्र बनवाने के लिए उपाय करना।
- मतदान केन्द्रों के स्थान तथा हैल्पलाईनों के बाबत मतदाताओं को अवगत कराना।
- मतदाताओं में मतदान करने के लिए जागरूकता लाना– इसके लिए मतदाताओं एवं क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों से निरन्तर सम्पर्क करना

- बी.एल.ओ. के माध्यम से या SMS या निर्वाचन विभाग की वेबसाईट के माध्यम से फोटो मतदाता सूची में अपने नामों को देखने के लिए मतदाताओं को अवगत कराना। तथा यदि उनका नाम नहीं है तो उसका उपाय बताना।
- मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निर्भय होकर बिना किसी लोभ–लालच के मतदान हेतु प्रोत्साहित करना।
- किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या उम्मीदवार या उसके कार्यकता द्वारा अपने पक्ष में या किसी प्रतिद्वंदी के विरूद्व किसी प्रकार के लालच या प्रलोभन में नहीं आने के लिए वातावरण बनाना।
- मतदाताओं में यह प्रचारित करना कि मतदान के लिए रिश्वत लेना या कोई उपहार ग्रहण करना कानून के विरूद्व है और अपराध है।

(ब) सैक्टर अधिकारी के मतदान के पूर्व दिवस के दायित्व

- यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुंच गये है और समस्त सामग्री उनके पास उपलब्ध है।
- यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा योजना (Security Plan) के अनुरूप मतदान केन्द्रों पर पुलिस बल पहुंच गया है।
- मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन संचालन या मतदान प्रक्रिया के संबंध में यदि कोई शंका है तो उसका समाधान करना।
- जहां मतदान केन्द्र में वीडियो/फोटोग्राफी की जानी है वहां वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर सुपरवाईजर पहुंच गया है।
- मतदान केन्द्र की 200 मीटर परिधी में किसी दल/अभ्यर्थी का कार्यालय तो नहीं है।
- नियत्रंण कक्ष को ओ.के. रिपोर्ट भेजना।

(स) सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व

- मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व दिखावटी मतदान की स्थिति सुनिश्चित करना – यदि कोई कठिनाई है तो उसके समाधान की कार्यवाही करना।
- **बनावटी मतदान** – मतदान प्रारम्भ होने के नियत समय से 30 मिनट पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जायेगा। यदि केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो या कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं हो तो 15 मिनट तक मतदान दल द्वारा इन्तज़ार किया जायेगा। यदि फिर भी कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो बनावटी मतदान सम्पन्न कर मशीन की सीलिंग की कार्यवाही कर ली जायेगी तथा नियत समय पर मतदान प्रारम्भ होगा।

.....सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व

- दिखावटी मतदान प्रमाणन (Mock Poll Certification) को सुनिश्चित करना– दिखावटी मतदान का स्टेट्स 30 मिनट के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना (आयोग का पत्र क्रमांक 51/7/2008–EMS दिनांक 15.7.2008)
- मतदान प्रारम्भ होने के समय तक सैक्टर अधिकारी ऐसे समस्त मतदान केन्द्रों की सूचना एकत्र करेंगे जहां बनावटी मतदान या तो एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में हुआ है या बनावटी मतदान के समय कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था।

....सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व

- जिन मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति में या एक ही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में दिखावटी मतदान किया गया है वहाँ बार–बार भ्रमण करना एवं निगरानी रखना।
- मतदान प्रारम्भ होने के बाद इसकी सूचना देना।
- यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र पर लगाया गया पुलिस बल तैनात है।
- जहाँ आवश्यक है वहाँ वोटिंग मशीन को बदलना (सेक्टर ऑफिसर को आरक्षित वोटिंग मशीन भी रखनी है)।

....सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व

- मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति पर निगरानी रखते हुए उनकी रिपोर्ट करना।
- मतदान केन्द्र के भीतर प्रक्रिया के संबंध में मतदान दल को सहयोग करना।
- मतदान केन्द्रों के भ्रमण के समय यह देखना कि मतदान प्रक्रिया की शुद्धता बनी हुई है तथा मतदान के सभी पहलुओं पर निगरानी रखना।

....सैक्टर अधिकारी के मतदान दिवस के दायित्व

- शासकीय मतदाता सूची (Voters' Slip) के लिए प्रशासन द्वारा बनाये गये सरकारी बूथ पर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची वितरण की व्यवस्था सुचारू रहे– यह सुनिश्चित करना।
- राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा बनाये जाने वाले बूथ मतदान केन्द्र की सीमा से 200 मीटर दूर रहे, यह सुनिश्चित करना।
- यदि कोई वाहन अवैध रूप से मतदाताओं को लाने–ले जाने का काम कर रहे है तो तुरन्त संबंधित पुलिस मोबाइल पार्टी/थाने को कार्यवाही हेतु सूचित करना।

- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट समय–समय पर मतदान प्रतिशत अवगत कराना।
- मतदान दिवस को प्राप्त शिकायतों को निपटाना।
- मतदान दलों द्वारा वोटिंग मशीन की सीलिंग तथा कागजात की तैयारी पर निगरानी रखना।
- मतदान दलों को वोटिंग मशीन के साथ संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचाना।
- आवश्यकता होने पर आरक्षित दलों में से मतदान कार्मिकों को प्रतिस्थापित करना अथवा सहयोग के लिए लगाना।
- मतदान कार्मिकों को मानदेय भुगतान को सुनिश्चित करना।
- मतदान केन्द्र के भ्रमण के समय मतदान केन्द्र में रखी गई विजिट शीट में इन्द्राज का हस्ताक्षर करना।

- मतदान समाप्ति के बाद वह यह सुनिश्चित करेंगे कि :–
  - पीठासीन अधिकारी की डायरी समुचित रूप से भरी गई है।
  - वोटिंग मशीने समुचित रूप से मुहरबन्द है।
  - 17ग की प्रतियाँ मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई है।
  - 17क का रजिस्टर समुचित रूप से भरा गया है।
  - मतों की संख्या प्ररूप 17–क, 17–ग कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन के आधार पर समान है।
  - पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने हेतु समुचित रूप से भरा गया है।
- मतदान पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी को पोलिंग के संबंध में प्रपत्र–3 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

भय प्रताडना ग्रस्त परिवारों/मतदाताओं के संबंध में मतदान दिवस को विशेष ध्यानः–

- पीठासीन अधिकारियों को भी उनके मतदान केन्द्र के ऐसे मतदातओं जो भय व प्रताडना ग्रस्त मतदाताओं के रूप में चिन्हित है, की जानकारी दी जायेगी तथा उन्हें इंगित करने हेतु चिन्हित मतदाता सूची के अनुभाग में साईड–मार्जिन में उन मतदाताओं के नामों के सामने उपर से नीचे लाईन खींच कर दर्शाया जायेगा।
- सैक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र में अपने प्रत्येक भ्रमण के समय इन मतदाताओं द्वारा वोट देने या वोट देने के लिए नहीं आने की सूचना प्राप्त करेगा।

- यह सूचना चिन्हित मतदाता सूची में मतदान कर चुके मतदाताओं के नामों को चिन्हित किये जाने हेतु लगाये गये tick (✓) मार्क के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।
- सेक्टर अधिकारी/मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी भय/प्रताड़नाग्रस्त परिवारों/क्षेत्र में मतदान दिवस को कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे।
- सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल पार्टी ऐसे इलाकों का भी कम से कम दो बार भ्रमण करेंगे जहाँ पर मतदाताओं को धमकाने/भयभीत करना संभावित है।
- सैक्टर अधिकारी को यदि यह जानकारी मिलती है कि भय/ प्रताडना ग्रस्त परिवार/मतदाता काफी संख्या में वोट देने के लिए अनुपस्थित है तो वह तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा और उन क्षेत्रों में विशेष दल भेजा जाकर पता लगाया जायेगा कि उन मतदाताओं को वोट देने में किसी प्रकार का अवरोध तो नहीं है और यदि ऐसा है तो उपाय किये जायेंगे।

- मतदान समाप्ति के पश्चात सैक्टर अधिकारी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी कि उसके सैक्टर के अमुक–अमुक Vulnerable Pockets के मतदाताओं ने वोट दिया है अथवा नहीं।
- मतदान दिवस को पर्यवेक्षक भी भय/प्रताडनाग्रस्त मतदाताओं के संबंध में ध्यान रखेंगे।
- जिन मतदान केन्द्रों के मतदाताओं के रजिस्ट (17–ए) तथा अन्य रिकार्ड की संवीक्षा मतदान के बाद अगले दिन पर्यवेक्षक व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाती है तो उनमें भय/प्रताड़नाग्रस्त मतदाताओं के द्वारा मताधिकार के प्रयोग की स्थिति भी देखी जायेगी।

सेक्टर अधिकारी के लिए अन्य बिन्दु

- सैक्टर अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र रखना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह अपने सेक्टर में भ्रमण के दौरान अपने पहचान पत्र को प्रदर्शित रखें।
- **सम्प्रेषण योजना –**

  – सैक्टर में सभी मतदान केन्द्रों के भवनों, बूथ लेवल अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियो के नाम एवं सम्पर्क नम्बर

  – पुलिस थाना, पुलिस मोबाइल दलों, केन्द्रीय पुलिस बल के प्रभारियों के नाम व सम्पर्क नम्बर

  – कन्ट्रोल रूम, RO, ARO, DEO, Dy. DEO, एरिया मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक व चुनाव संबंधी अन्य अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर
- सैक्टर अधिकारियों को भ्रमण के दौरान आचार संहिता के उल्लघंन की घटनाओं की विडियोग्राफी भी करानी चाहिए और ऐसे विडियोग्राफी की सीडी उसी दिन अपनी रिपोर्ट के साथ RO को सौंपी जावे।

- पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं बूथ लेवल अधिकारियों को दिये गये प्रशिक्षण की जानकारी रहनी चाहिए तथा मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण मतदान दलों के साथ लेना चाहिए।
- उनको सेक्टर का विस्तृत नक्शा एवं प्लान तैयार रखना चाहिए।
- मतदाता हैल्पलाईनों के संबंध में विवरण उपलब्ध होना चाहिए।
- आरक्षित वोटिग मशीन का सैट रखना चाहिए। मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन के खराब होने पर मशीन का पूरा सैट ही बदला जायेगा।
- सैक्टर अधिकारी मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रह कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त डाक मतपत्र से मतदान करें।
- सैक्टर अधिकारी– सैक्टर मजिस्ट्रेटों एवं एरिया मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण में भी उपस्थित रह कर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

- Systematic Voter Education & Electoral Participation (SVEEP) कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने सैक्टर में गतिविधियों को सम्पादित कराना।

वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वोटर हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। हैल्प लाइन नंबर डायल करके या एस.एम.एस. कर के मतदाता अपने से संबंधित फोटो मतदाता सूची में नाम व प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

डायल करें – 1950

एस.एम.एस. करें–मोबाइल 9251092103 पर

उदाहरण : **VOTERJ <Space> RJ/01/001/123456**

(मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या)

वेबसाइट – www.ceorajasthan.nic.in के होम पेज पर "search your name in electoral rolls" पर Click करें

सेक्टर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन

- सेक्टर अधिकारी अपनी नियुक्ति के पश्चात् क्षेत्र में प्रत्येक भ्रमण के संबंध में संलग्न प्रपत्र–1 तथा प्रपत्र–2 में बताये गये बिन्दुओं के अनुसार भ्रमण प्रतिवेदन रिटर्निंग अधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- सैक्टर अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से नामांकन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के पूर्व दिवस तक भ्रमण कर Vulnerability Mapping के संबंध में एकत्र सूचना Format VM-SO में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व दिवस को की जायेगी।
- मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान दिवस की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत विवरण के साथ एक रिपोर्ट सेक्टर अधिकारी निर्धारित प्रपत्र–3 में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- मतदान दिवस को भ्रमण के समय उपयोग हेतु प्रपत्र–4 में चैक लिस्ट।

Format VM-SO

(The Sector Officer/ Sector Magistrate has to fill a different Format VM-SO for each Polling Station in his Sector, and as many Formats VM-SO as is the number of Polling Stations in his Sector.

Each Format VM-SO must contain the details for all Vulnerable Localities/ Pockets/ Voter Segments in one Polling Station area of the Sector.

It must be ensured and certified that no locality/ pocket/ voter segment which is vulnerable has escaped or been missed from inclusion in this format for any polling station area).

.....Format VM-SO

Number and Name of the AC –
Number and Name of the Polling Station -
I. **Name of the Locality –** Date of Information-
A. List of Vulnerable Houses/ Families

S.No.	House No./ Family Name/ other identifying details of the Household/ Family which has Vulnerable Voters in the Locality	Number of Voters identified as Vulnerable in the house/ family identified in col-2	Contact No. of the Household, if any	Action Taken/ Proposed	Remarks
1	2	3	4	5	**6**
Total					

B. List of Persons to be Tracked/ Prevented from Intimidating/ Wrongly Influencing Voters:

S.No.	Name of the Person	Contact No./Address of the person	Action Taken/ Proposed	Remarks
1	2	3	4	5
Total				

II. **Name of the Locality –** .. Date of Information-..

A. List of ..

B. List of ..

III. **Name of the Locality –** .. Date of Information-..

A. List of ..

B. List of ..

IV. …

CERTIFICATION BY THE SECTOR OFFICER/ SECTOR MAGISTRATE

It is hereby certified that no locality/ pocket/ voter segment which is 'vulnerable' from the point of view of the Assembly Elections, 2013 in the area of the polling station no. ------, Polling station name ---------- which is included in my Sector, has escaped or been missed from inclusion in this format.

Signatures of Sector Officer/ Sector Magistrate …….

Name and Mobile No. of the Sector Officer/ Sector Magistrate …….

प्रपत्र–1

सेक्टर अधिकारी द्वारा सेक्टर में किये गये विभिन्न भ्रमणों के प्रतिवेदन का प्रपत्र

(विधानसभा क्षेत्र .....)

सेक्टर का नाम अथवा नम्बर : सेक्टर ऑफिसर का नाम:

क्र.सं.	मतदान केन्द्र का नाम जहां भ्रमण किया गया	ढांचागत व्यवस्था (हाँ/नहीं/रिपोर्ट)					मतदाताओं की संख्या	क्या भ्रमण के दौरान बी.एल.ओ. साथ रहा (हाँ/नहीं)	अब तक ज्ञात भय ग्रस्त मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्र, ग्राम तथा मतदान क्षेत्र के संबंध में कोई विशिष्ट अभ्युक्ति
		रैम्प	सड़क सम्पर्क	पानी	छाया	मतदान केन्द्र क्या भूतल पर है?				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
क्रमशः..										

टिप्पणी –

सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षरः

भ्रमण का दिनांकः

प्रपत्र–2

भयग्रस्त ग्रामों/ढाणियों के संबंध में सूचना के संग्रहण के लिये प्रपत्र

जिले का नाम : ..... विधानसभा क्षेत्रः .....

मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	मतदान केन्द्र में सम्मिलित ग्रामों/ ढाणियों के नाम	भयग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित ग्रामों/ ढाणियों के नाम	गड़बड़ी के संभावित स्रोत के रूप में चिन्हित व्यक्तियों के नाम	विशेष विवरण (भय का प्रकार, यथा – जातिगत प्रभुत्व, साम्प्रदायिक तनाव, आपराधिक गुट इत्यादि)
1	**2**	**3**	**4**	**5**

प्रपत्र–3

सेक्टर अधिकारी की रिपोर्ट का प्रपत्र (मतदान दिवस)

सेक्टर अधिकारी का नाम : .....

विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नामः .....

रूट नम्बरः .....

अभ्यर्थियों की संख्याः .....

मशीन तथा सांविधिक कागजात स्ट्रॉंग रूम में क्या जमा करा दिये गये (हाँ/नही)	क्या पुर्नमतदान की अनुशंषा की गई (हाँ/नही)	प्रत्येक शिकायत का स्रोत, इनकी प्रकृति तथा निराकरण के लिये की गई कार्यवाही	मतदान दिवस को प्राप्त शिकायतें	पीठासीन अधिकारी की डायरी, 17क, 17ग क्या चैक कर लिये गये है और इनका मिलान कर लिया गया है (हाँ/नही)	पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ताओं को 17ग की प्रति क्या दे दी गई है (हाँ/नही)	क्या मशीनें बन्द करके सही रूप से सील कर दी गई है (हाँ/नही)	भय प्रताड़ना से ग्रस्त मतदाताओं में से कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया है।	मतदान के समापन पर डाले गये मतों की कुल संख्या	डाले गये मतों का कुल प्रतिशत	मतदान समाप्ति के बाद क्या मतदान हुआ (हाँ/नही)	तृतीय भ्रमण के समय डाले गये मतों की संख्या (समय बताऐ)	द्वितीय भ्रमण के समय डाले गये मतों की संख्या (समय बताऐ)	प्रथम भ्रमण के समय डाले गये मतों की संख्या (समय बताऐ)	दलीय अभ्यर्थियों की संख्या जिनके मतदान अभिकर्ता नहीं थे	उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या	क्या दिखावटी मतदान किया गया (हाँ/नही)	कुल मतदाता	वीडियो कैमरा तैनात किया गया (हाँ/नही)	माइक्रो ऑबजवर तैनात किया गया (हाँ/नही)	केन्द्रीय बल तैनात किया गया (हाँ/नही)	मतदान केन्द्र संख्या
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

प्रपत्र –4

सैक्टर नम्बर 01/85 बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र

अ. नजरी नक्शा

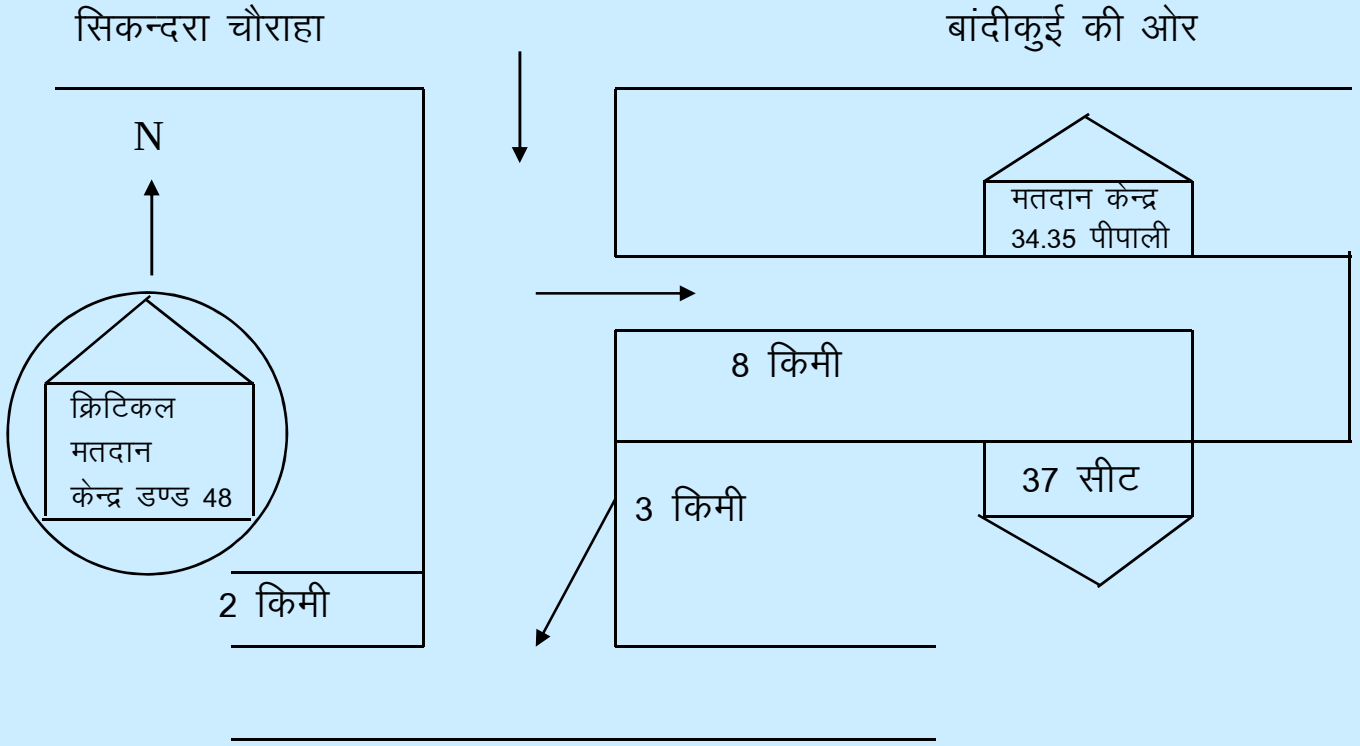

ब. जोन में सम्मिलित निम्न मतदान केन्द्र के क्षेत्र व परिक्षेत्र जिनमें **Vulnerable voters/families** को चिन्हित किया गया है –

1..... 2..... 3..... 4.....

लगातार ..... प्रपत्र – 4

स. सैक्टर में चिन्हित किए गये असामाजिक तत्वों के नाम एवं इलाका –

1. 2. 3.

द. सैक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान केन्द्र पर देखे जाने वाले बिन्दु

	बिन्दु	स्रोत
1.	मतदाता अनुशासित रूप से पंक्तिबद्ध है या नहीं ?	मतदान अभिकर्ताओं से जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
2.	मतदान दल द्वारा मतदाता की पहचान हेतु आयोग के अधिकृत वैकल्पिक दस्तावेज देख कर पहचान की जा रही है अथवा नहीं?	
3.	मतदान केन्द्र में अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित तो नहीं है?	मतदान अभिकर्ता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4.	मतदान दल के सदस्य बार–बार वोटिंग कम्पार्टमेन्ट में तो नहीं जा रहे हैं?	
5.	मतदान दल द्वारा प्रारूप 17क का इन्द्राज किया जा रहा है या नहीं?	मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रजिस्टर देखकर
6.	मतदाता मतदान करने के बाद अमित स्याही को मिटा तो नहीं रहे हैं?	मतदान के पश्चात् मतदाता की अंगुली पर निशान देखकर
7.	भय प्रताडना से ग्रस्त मतदाताओं में से मतदाता वोट देने के लिये आ रहे है अथवा नहीं ?	चिन्हित मतदाता सूची में भय–प्रताडना से ग्रस्त मतदाताओं को इंगित करने हेतु साईड मार्जिन में लाईन एवं मतदान दिवस को क्षेत्रों का भ्रमण

य. सम्पर्क टेलिफोन नम्बर

1. जिला कन्ट्रोल रूम ..... 2. पर्यवेक्षक ..... 3. रिटर्निंग ऑफिसर .....

4. सैक्टर मजिस्ट्रेट का नाम व मोबाईल नम्बर .....

धन्यवाद